OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

MPPSC(Vargikaran,Niyantran,Apeal)Niyam1966

मध्यप्रदेश शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
MANTRALAYA

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966

THE MADHYA PRADESH CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTRLOL AND APPEAL), RULES 1966

(दिनांक 26 फरवरी, 2007 तक यथा–संशोधित)
[As amended upto 26th Fabruary, 2007]

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

— भूमिका —

राज्य शासन के अधीन नियोजित शासकीय सेवकों के विरूद्व आचरण नियमों का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक/भ्रष्टाचार या नैतिक पतन से संबंधित मामलों में उनके विरुद्ध दण्ड अधिरोपण की कार्यवाही के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 अधिसूचित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त नियम में आवश्यकतानुसार समय–समय पर अनेक संशोधन जारी किये गये हैं। अनुशासनिक प्राधिकारियों को अद्यतन नियमों की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, इसे दृष्टिगत रखते हुये अब तक किये गये संशोधन का मूल नियमों में यथा स्थान समावेश करते हुये इसके अधीन जारी होने वाले मानक प्ररूपों का समावेश इस पुस्तिका में किया गया है।

2. मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 को अद्यतन करते हुये आवश्यक प्ररूप एवं निर्देशों के साथ जारी यह नियम पुस्तिका अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के निराकरण में निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगी।

1/3/14

(अॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

01 मार्च, 2014

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

–: अनुक्रमणिका :–

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966........................ 01–29

नियम–1 संक्षिप्त नाम.....01
नियम–2 निर्वचन.....01
नियम–3 प्रयुक्ति.....02
नियम–4 सेवाओं का वर्गीकरण.....03
नियम–5 सेवाओं का गठन.....03
नियम–6 पदों का वर्गीकरण.....03
नियम–7 प्रथम, द्वितीय पदों पर नियुक्तियां.....03
नियम–8 अन्य पदों पर नियुक्तियां.....03
नियम–9 निलम्बन 04
नियम–10 शास्तियां.....07
नियम–11 चतुर्थ श्रेणी सदस्यों के लिए दण्ड.....09
नियम–12 अनुशासिक प्राधिकारी.....09
नियम–13 कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी.....10
नियम–14 मुख्य शास्ति की प्रक्रिया.....11
नियम–15 जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही.....17
नियम–16 लघु शास्ति की प्रक्रिया.....18
नियम–17 आदेशों का संसूचित किया जाना.....19
नियम–18 सामान्य कार्यवाही.....19
नियम–19 कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया.....20
नियम–20 उधार दिये गये पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध.....20
नियम–21 उधार लिये गये पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध.....21
नियम–22 आदेश जिनके विरूद्व अपील नहीं होती.....22
नियम–23 आदेश जिनके विरूद्व अपील होती है.....22
नियम–24 अपीलीय प्राधिकारी.....22
नियम–25 अपील के लिए अवधिकाल.....23
नियम–26 अपील का प्रारूप तथा उसकी विपय–वस्तु.....23
नियम–27 अपील पर विचार.....24
नियम–28 अपीलीय आदेश का कार्यान्वयन.....25
नियम–29 पुनर्विलोकन.....26
नियम–30 आदेशों / सूचनाओं की तामील.....28
नियम–31 समयावधि का शिथिलीकरण.....28
नियम–32 आयोग की मंत्रणा की प्रतिलिपि दी जाना.....28
नियम–33 संक्रमणकालीन उपबंध.....28
नियम–34 निरसन तथा ब्यावृत्ति.....28
नियम–35 शंकाओं का निवारण.....29

2. नियमों के अंतर्गत कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों का प्ररूप.....30–64

(1) आदेशों के प्ररूप.....30–53
(2) परिपत्र दिनांक 08.02.1999 54–64
(3) परिपत्र दिनांक 30.06.1994 65–72

3. नियमों में किये गये संशोधन.....73–86

(''मध्यप्रदेश राजपत्र'' असाधारण, दिनांक 7 जनवरी, 1967 में प्रकाशित किया जा चुका है.)
(दिनांक 26 फरवरी, 2007 तक संशोधित.)

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1966

क्रमांक 2936-2414-एक (3).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966

पहला भाग-सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**—

(1) ये नियम **''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966''** कहलायेंगे.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **निर्वचन**—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) शासकीय सेवक के सम्बन्ध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है—

(एक) वह प्राधिकारी, जो कि उस सेवा में, जिसका कि शासकीय सेवक तत्समय सदस्य हो, या सेवा के उस ग्रेड में, जिसमें कि शासकीय सेवक तत्समय सम्मिलित हो, नियुक्तियां करने के लिये सशक्त हो; या

(दो) वह प्राधिकारी, जो कि उस पद पर, जिसको कि शासकीय सेवक तत्समय धारण करता हो, नियुक्तियां करने के लिए सशक्त हो; या

(तीन) वह प्राधिकारी जिसने कि शासकीय सेवक को यथास्थिति ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो; या

(चार) जहां शासकीय सेवक, किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होने के नाते, या किसी अन्य स्थायी पद को मूलतः धारण करने के नाते, शासन के निरन्तर नियोजन में रहा हो वहां वह प्राधिकारी, जिसने कि उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी ग्रेड में या उस पद पर नियुक्त किया हो;

इनमें से जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी हो;

(ख) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) **''मध्यप्रदेश शासन के विभाग''** से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसी स्थापना या संगठन जो कि राज्यपाल द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश शासन का विभाग होना घोषित किया गया हो;

(घ) **''अनुशासिक प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो कि नियम 10 में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो;

(ङ) **''शासन''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(च) **''शासकीय सेवक''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो—

(एक) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो और उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो विदेश सेवा में हो या जिसकी सेवाऐं संघ सरकार या किसी अन्य राज्य शासन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधिकार में अस्थायी रूप से रखी गयी हो;

[*Published in "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-Ordinary), dated the 7th January, 1967*]
(As Amended upto 26th February, 2007)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 30th December, 1966.

No. 2936−2414−1(iii). In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :-

THE MADHYA PRADESH CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1966

PART I− GENERAL

1. Short title and commencements. −

(1) These Rules may be called "the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966"

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. Interpretation. − In these rules, unless the context otherwise requires,−

(a) **"appointing authority"** in relation to a Government servant means−

(i) the authority empowered to make appointments to the service of which the Government servant is for the time being a member or to the grade of the Service in which the Government servant is for the time being included, or

(ii) the authority empowered to make appointment to the post which the Government servant for the time being holds, or

(iii) the authority which appointed to the post which the Government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) Where the Government servant having been a permanent member of any other service of having substantively held and other permanent post, has been in continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that Service of to any grade in the Service or to that post,

whichever authority is the highest authority ;

(b) **"Commission"** means the Madhya Pradesh Public Service commission;

(c) **"Department of the Government of Madhya Pradesh"** means any establishment of organisation declared by the Governor by a notification in the official Gazette to be a department of the Government of Madhya Pradesh;

(d) **"disciplinary authority"** means the authority competent under these rules to impose on a Government servant any of the penalities specified in rule 10;

(e) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(f) **"Government Servant"** means a person who−

(i) is a member of a Service or holds a civil post under the State, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the Union Government, or any other State Government or a local or other authority;

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(दो) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य शासन के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवाऐं राज्य शासन के अधिकार से अस्थायी रूप से रखी गयी हों;

(तीन) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में हो और जिसकी सेवाऐं राज्य शासन के अधिकार में अस्थायी रूप से रखी गयी हों;

(छ) नियुक्ति, अनुशासिक, अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए **''विभाग के अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी जो कि यथास्थिति फण्डामेण्टल एण्ड सप्लीमेंन्टरी रूल्स या सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अधीन विभाग का अध्यक्ष होना घोषित किया गया हो;

(ज) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है, इन नियमों की अनुसूची;

(झ) **''सेवा''** से अभिप्रेत है, राज्य की सिविल सेवा;

(ञ) **''राज्य''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **प्रयुक्ति,—**

(1) ये नियम प्रत्येक शासकीय सेवक को लागू होंगे किन्तु ——

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य को,

(ख) सामयिक नियोजन में के किसी व्यक्ति को,

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि एक मास से कम की सूचना देकर सेवामुक्त किया जा सकता है,

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके लिये इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् राज्यपाल द्वारा या उनके पूर्व अनुमोदन से किये गये करार द्वारा या उसके अधीन किया गया हो ऐसे विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के बारे में,

लागू नहीं होंगे,

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, आदेश द्वारा, शासकीय सेवकों के किसी भी वर्ग को इन समस्त नियमों या उनमें से किसी भी नियम के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेंगे.

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम, उपनियम (1) में के अपवाद (घ) के अन्तर्गत आने वाली सेवा या पद पर अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किये गये ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक को लागू होंगे जिसको कि ये नियम, यदि ऐसा स्थानांतर नहीं होता तो लागू होते.

(4) यदि इस सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो——

(क) कि क्या ये नियम या इनमें से कोई नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं/होता है, या

(ख) यह कि क्या कोई व्यक्ति, जिसको कि ये नियम लागू होते हैं, किसी विशिष्ट सेवा का है;

तो मामला राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा जो कि उसको विनिश्चित करेंगे.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

(ii) is a member of a Service or holds a civil post under the Government of India or any other State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the State Government;

(iii) is in the service of a local or other authority and whose services are temporality placed at the disposal of the State Government;

(g) **"head of the department"** for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or reviewing authority, means the authority, declared to be the head of the department under the Fundamental and Supplementary Rules or the Civil Service Regulations, as the case may be;

(h) **"Schedule"** means the Schedule to these rules;

(i) **"Service"** means a civil service of the state;

(j) **"State"** means the State of Madhya Pradesh.

3. Application. –

(1) These rules shall apply to every Government servant but shall not apply to–

(a) any member of the All-India Services,

(b) any person in casual employment,

(c) any person subject to discharge from service on less than one month's notice,

(d) any person for whom special provision is made, in respect of matters covered by these rules, by or under any law for the time being in-force or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the Governor before or after the commencement of these rules, in regard to matters covered by such special provisions;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Governor may by order exclude any class of Government servants from the operation of all or any of these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these rules shall apply to every Government servant temporarily transferred to a Service of post coming within exception (d) in sub-rule (1), to whom, but for such transfer, these rules would apply.

(4) If any doubt arises-

(a) whether these rules or any of them apply to any person; or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular service;

the matter shall be referred to the Governor, who shall decide the same.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

दूसरा भाग–वर्गीकरण

4. **सेवाओं का वर्गीकरण.–**

(1) राज्य की सिविल सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत होंगी :–

(एक) राज्य सिविल सेवा, प्रथम श्रेणी;
(दो) राज्य सिविल सेवा, द्वितीय श्रेणी;
(तीन) राज्य सिविल सेवा, तृतीय श्रेणी;
(चार) राज्य सिविल सेवा, चतुर्थ श्रेणी;

(2) यदि कोई सेवा एक से अधिक ग्रेडों से मिलकर बनती हो, तो ऐसी सेवा के भिन्न–भिन्न ग्रेड भिन्न–भिन्न वर्गों में सम्मिलित किये जा सकेंगे.

5. **राज्य सिविल सेवाओं का गठन.––** प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवायें अनुसूची में उल्लिखित की गई सेवाओं तथा सेवाओं में ग्रेडों से और ऐसी अन्य सेवाओं या ग्रेडों या पदों से जो कि राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किये जायें, मिलकर बनेगी.

6. **पदों का वर्गीकरण.––**

(1) राज्य के अधीन के सिविल पद, राज्य के अधीन उन सिविल पदों को छोड़ कर, जो कि साधारणतः उन व्यक्तियों द्वारा धारण किये जाते हों जिन्हें कि ये नियम लागू नहीं होते हैं, राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे :–

(एक) राज्य सिविल पद, प्रथम श्रेणी;
(दो) राज्य सिविल पद, द्वितीय श्रेणी;
(तीन) राज्य सिविल पद, तृतीय श्रेणी;
(चार) राज्य सिविल पद, चतुर्थ श्रेणी;

(2) राज्य के अधीन के सिविल पदों के वर्गीकरण से सम्बन्धित कोई भी ऐसा आदेश, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो और जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह उपनियम (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश द्वारा परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दिया जाय.

तीसरा भाग–नियुक्ति प्राधिकारी

7. **प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियां.––** प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की राज्य सिविल सेवा के लिए समस्त नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा की जाएंगी :

परन्तु राज्य शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के, जिन्हें कि वह ऐसे आदेश में उल्लिखित करें, अधीन रहते हुए भी, ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

8. **अन्य सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियां.––** तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवाओं के लिए समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में इस सम्बन्ध में उल्लिखित किये गये प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART II-CLASSIFICATON

4. Classification of Services.-

(1) The civil Services of the State shall be classified as follows:-

(i) State Civil Services, Class I;
(ii) State Civil Services, Class II;
(iii) State Civil Services, Class III;
(iv) State Civil Services, Class IV.

(2) If a Service consists of more than one grade, different grades of such Service may be included in different classes.

5. Constitution of State Civil Services.-The State Civil Services, Class I, Class II, Class III and Class IV shall consist of the Services and grades of Services specified in the Schedule, and such other services or grades or posts as may be notified by the State Government from time to time.

6. Classification of post.-

(1) Civil posts under the State other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply, shall by a general or special order of the Governor be classified as follows :-

(i) State Civil Posts, Class I;
(ii) State Civil Posts, Class II;
(iii) State Civil Posts, Class III;
(iv) State Civil Posts, Class IV.

(2) Any order made by the competent authority, and in force immediately before the commencement of these rules relating to classification of civil posts under the State, shall continue to be in force until altered, rescinded or amended by an order made by the Governor under sub-rule (1).

PART III- APPOINTING AUTHORITY

7. Appointments to Class I and Class II Services and posts.-
All appointments to State Civil Services, Class I and Class II shall be made by the State Government:

Provided that the State Government may, by a general or a special order and subject to such conditions as it may specify in such order delegate to any other authority the power to make such appointments.

8. Appointments to other Services and Posts.-
All appointments to the State Civil Services Class III and Class IV, shall be made by the authorities specified in this behalf in the Schedule.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

चौथा भाग–निलम्बन

9. **निलम्बन.**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को.––

(क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

निलम्बित कर सकेगा :

/परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,

/परन्तु *यह और भी कि* जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा––

(क) उसके निरूद्ध किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

व्याख्या.—इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गयी अडतालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात्, कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियां, यदि कोई हों, संगणित की जायेगी.

/प्रथम परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दि. 17.04.1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, तथा द्वितीय परन्तुक में शब्द ''यह और भी कि'' जोडा गया। प्रथम परन्तुक निम्नानुसार था–

''परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.''

तदुपरांत अधिसूचना क्र सी–6–1–2007–3–एक, दिनांक 26.02.2007 द्वारा प्रथम परन्तुक में पुनः संशोधन कर उपरोक्तानुसार शब्द ''सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात्'' जोडते हुऐ प्रतिस्थापित किया गया, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26.02.2007 में प्रकाशित है.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART IV-SUSPENSION

9. Suspension:-

(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in the behalf by the Governor by general or special order, may place a Government servant under suspension:-

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial:

**Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after sanction of prosecution by the Government against him.*

Provided **further* that where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

(2) A Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority-

(a) with effect from the date of his detention, if, he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.- The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the period of imprisonment, if any, shall be taken into account.

---

*The following first proviso and the word "further" in the second proviso inserted vide GAD Notification no C-6-2-96-3-EK dated 17.04.1996 and published in Madhya Pradesh gazette 03.08.96, which was as followed :-

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed against him. "

Again, In the first proviso words "after sanction of prosecution by the Government" inserted vide GAD notification NoC-6-1-2007, dated 26.02.2007 which is published in Gazette dated 26.02.2007.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

S (2–क) जहां किसी शासकीय सेवक को उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जाय, वहां निलम्बन आदेश में, ऐसा आदेश करने के कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जहां ऐसे शासकीय सेवक के विरूद्ध नियम 14 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी:

परन्तु जहां अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार **#या उच्च न्यायालय** हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि ऊपर वर्णित की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी.

(2–ख) जहां अनुशासिक प्राधिकारी आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि 45 दिन की कालावधि के भीतर शासकीय सेवक को जारी न करें, वहां अनुशासिक प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से निलम्बन की उक्त कालावधि को बढाने के लिये लिखित में आदेश अभिप्राप्त करेगा:

परन्तु निलम्बन की कालावधि में, निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में वृद्वि नहीं की जायेगी.

(3) जहां निलम्बित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाय और मामला आगे जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस भेज दिया जाय, वहां उसको निलम्बित किये जाने का आदेश, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश के दिनांक को तथा से प्रवृत्त बना रहा समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा.

(4) जहां शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की अधिरोपित की गयी शास्ति विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त कर दी जाय अथवा शून्य घोषित कर दी जाय या शून्य हो जाय और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर अनुशासिक प्राधिकारी, उसके विरूद्ध उन्हीं अभिकथनों पर, जिन पर कि पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलत: अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का विनिश्चय करे वहां शासकीय सेवक, पदच्युति, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेशों के दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया समझा जायेगा और आगामी आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा.

S नियम 9 में उपनियम (2–क) एवं (2–ख) उनके परन्तुकों सहित प्रावधान सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–81–3–एक, दि. 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं.

उपनियम (2–क) के परन्तुक में शब्द ''या उच्च न्यायालय'' सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दि 20.05.1998 द्वारा जोडा गया जो दि 21.05.1998 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

***(2-a)** Where a Government servant is placed under suspension under clause (a) of sub-rule (1) the order of suspension shall contain the reasons for making such order and where it is proposed to hold an enquiry against such Government servant under rule 14, a copy of the articles of charges, the statement of imputations of miss-conduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained shall be issued or caused to be issued by the disciplinary authority to such Government servant as required by sub-rule (4) of rule 14, within a period of 45 days from the date of order of suspension:*

Provided that where the disciplinary authority is the State Government # *or the High Court* copy of charges and other documents mentioned above shall be issued or caused to be issued to such Government servant within a period of 90 days from the date of order of suspension:

***(2-b)** Where the disciplinary authority fails to issue to the Government servant a copy of the charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) within the period of 45 days, the disciplinary authority shall, before expiry of the said period obtain orders in writing of the State Government for extension of the said period of suspension:*

Provided that the period of suspension shall in no case be enhanced beyond a period of 90 days from the date of the order of suspension.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant under a suspension, is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant, is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him in the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

---

* In rule 9' the sub rules (2-a) and (2-b) with their provisons inserted vide GAD Notification No.. F. 6-5-81-3-I, dated 26th February 1982 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 12th March 1982.

In the proviso of sub rule (2-a) the words "or the High Court" Inserted vide GAD Notification No C-6-3-98-EK, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette dated 21.05.98.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(5) **(क)** इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह रूपभेदित या प्रतिसंहृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूप भेदित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय:

• परन्तु निलम्बन आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन की कालावधि के समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को उपनियम (2–ख) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा (यदि वह राज्य सरकार न हो) उक्त दस्तावेजों के जारी करने की कालावधि के बढ़ाये जाने के लिये राज्य सरकार का आदेश अभिप्राप्त किये बिना जारी न की जाय:

• परन्तु यह और भी कि निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलम्बन आदेश उस स्थिति में प्रतिसंहृत हो जायेगा जबकि आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपनियम (2–क) में निर्दिष्ट की गयी हैं, प्रतिलिपि शासकीय सेवक को जारी न की जाय.

***•(ख)** ऐसे शासकीय सेवक के सम्बन्ध में, जिसका निलम्बन आदेश खण्ड (क) के प्रथम या द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिसंहृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे नियम 14 के उपनियम (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसको आरोपों की तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलम्बित करेगा.*

••(ग) जहां शासकीय सेवक को (या तो किसी अनुशासिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित किया गया हो या निलम्बित किया गया समझा गया हो, और उसी निलम्बन के चालू रहने के दौरान कोई अन्य अनुशासिक कार्यवाही उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गयी हो, वहां उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निर्देश दे सकेगा कि शासकीय सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी समस्त कार्यवाहियां या उनमें से कोई भी कार्यवाही समाप्त न हो जाय.

••(घ) इन नियमों के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय, उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने वह आदेश दिया हो या जिसके द्वारा वह दिया गया समझा जाता हो या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके कि अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो रूप भेदित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा.

α परन्तु नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुऐ आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.

• उपनियम (5)(क) के पश्चात् दोनों परन्तुक तथा पद (ख) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–81–3–एक, दि 26.02.1982 द्वारा जोडे गये हैं तथा दि 12.03.1982 के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं. तथा इसी अधिसूचना द्वारा

•• पूर्व के खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रावधानों को क्रमशः खण्ड (ग) तथा (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया.

α सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दिनांक 17.04.1996 द्वारा उपनियम (5) (घ) के पश्चात् यह परन्तुक जोडा गया.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule, shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so:

** Provided that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of forty five days from the date of order of suspension in case a copy of charges and other documents referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant by the disciplinary authority (if it is not the State Government) without obtaining the orders of the State Government for extension of the period for issue of the said documents, as required under sub-rule (2-b) :*

** Provided further that the order of suspension shall stand revoked on expiry of the period of 90 days from the date of order of suspension, in case the copy of charges and other document referred to in sub-rule (2-a) are not issued to such Government servant.*

***(b)** In respect of a Government servant, whose orders of suspension stand revoked in accordance with the first or second proviso of clause (a) the authority competent may, if it considers expedient so to do, place him under suspension after a copy of charges and other documents, as required by sub-rule (4) of rule 14, have been issued to him.*

*****(c)*** Where a Government servant is suspended or is deemed to have been suspended, (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceedings is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any so such proceedings.

*****(d)*** An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deem to have made the order or any authority to which that authority is subordinate.

//Provided that an order of suspension made under the first proviso to sub-rule (1) of rule 9 shall not be revoked except by an order of the Government made for reasons to be recorded.

---

* After sub rule (5)(a) both provisons inserted vide GAD notification No.. F-6-5-81-3-I, dated 26th February 1982 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 12th March 1982, and vide the same notification-

** The Previous clauses (b) & (c) of sub-rule (5) re-lettered as clauses (c) & (d) respectively.

// After sub rule (5)(d) the proviso inserted vide GAD Notification No C-6-2-96-3-EK, dated 17.04.96 and published in MP Gazette dated 03.08.96.

पांचवां भाग—शास्तियां तथा अनुशासिक प्राधिकारी

10. शास्तियां.—— शासकीय सेवक पर, निम्नलिखित शास्तियां, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किये गये अनुसार, अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात् :—

लघु शास्तियां

(एक) परिनिन्दा;

(दो) उसकी पदोन्नति का रोका जाना;

(तीन) उपेक्षा से या आदेशों के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई गयी किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली;

(चार) • वेतन की वृद्धियों का *या गतिरोध भत्ते का* रोका जाना.

मुख्य शास्तियां

(पांच) • किसी उल्लिखित कालावधि के लिये अवनत करके वेतन के समय—मान के निम्नतर प्रक्रम में, ऐसे और निदेशों के साथ लाया जाना कि क्या शासकीय सेवक ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान, *यथास्थिति,* वेतन वृद्धियां *या गतिरोध भत्ता* उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के समाप्त हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्धियों को *या गतिरोध भत्ते को* स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

टिप्पणी.—*अभिव्यक्ति ''अवनत करके वेतन के समय—मान के निम्नतर प्रक्रम में लाया जाना'' के अन्तर्गत शासकीय सेवक को गतिरोध भत्ता मिलने पर जिस प्रक्रम पर वेतन प्राप्त होता है, उस प्रक्रम से भिन्न प्रक्रम पर अवनत करना भी आता है.''*

(छ:) अवनत करके वेतन के निम्नतर समय—मान में, निम्नतर ग्रेड में, निम्नतर पद पर निम्नतर सेवा में लाया जाना जो उस शासकीय सेवक को पदोन्नत करके वेतन के उस समय—मान में, उस ग्रेड में या उस सेवा में जिससे कि वह अवतन किया गया था लाये जाने की साधारणतः रोक करेगा, उस ग्रेड या पद या सेवा पर जिससे कि शासकीय सेवक अवनत किया गया था, पुनः स्थापित किये जाने की शर्तों के सम्बन्ध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनः स्थापित हो जाने पर उसकी ज्येष्ठता तथा वेतन के सम्बन्ध में और निर्देशों के सहित या रहित;

(सात) अनिवार्य सेवा—निवृत्ति;

(आठ) सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी;

(नौ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी :

• खण्ड (चार) तथा (पांच) टिप्पणी सहित, पूर्व के खण्ड (चार) तथा (पांच) के स्थान पर, सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 6—2—76—3—एक, दि 24.03.1976 द्वारा संशोधित किये गये हैं जो राजपत्र दि 02.04.1976 में प्रकाशित हैं. पूर्व के प्रावधान निम्नानुसार थे:—

''(चार) वेतन की वृद्धियों का रोका जाना;

(पांच) किसी उल्लिखित कालावधि के लिये अवनत करके वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम में, ऐसे और निर्देशों के साथ लाया जाना कि क्या शासकीय सेवक ऐसी अवनति की कालावधि के दौरान वेतन वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के समाप्त हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;''

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART V- PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

10. Penalties.-

The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed on a Government servant, namely :-

Minor penalties

(i) Censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) withholding of increments of pay * *or stagnation allowance*;

Major penalties

(v) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not, the Government servant will earn increments of pay *"or the stagnation allowance, as the case may be"* during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments or his pay or stagnation allowance.

NOTE.- The expression "reduction to a lower stage in the time scale of pay" shall also include reduction of pay from the stage of pay drawn by a Government servant on account of grant of stagnation allowance, if any.

(vi) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government servant to the time-scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grads or post or Service from which the Government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

***Clauses** (iv) and (v) substituted vide G.A.D. Notification No F. 6- 2-76-3-I, dated 24th March 1976 and published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 2nd April 1976.

NOTE-To find out the previous clause (iv) & (v), the words "or stagnation allowance" and the words "or the stagnation allowance, as the case may be" with the note below to clause (v) shall be omitted from the amended clauses (iv) and (v) respectively.

∞ परन्तुक.––इसका लोप किया गया है.

व्याख्या.––निम्नलिखित बातें इस नियम के तात्पर्य के अन्तर्गत शास्ति नहीं होंगी, अर्थात्.––

(एक) शासकीय सेवक की वेतन–वृद्धियों का, उस सेवा को, जिसका कि वह हो या उस पद को जिसे कि वह धारण करता हो, शासित करने वाले, नियमों या आदेशों के अनुसार या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण रोका जाना;

(दो) किसी शासकीय सेवक का, वेतन के समय–मान में के दक्षतारोध पर, रोध को पार करने में उसकी अयोग्यता के आधार पर, रोका जाना;

(तीन) किसी शासकीय सेवक को, उसके मामले पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी सेवा, ग्रेड या पद जिस पर पदोन्नति के लिये वह पात्र हो, मौलिक या स्थानापन्न रूप में पदोन्नत न किया जाना;

(चार) किसी ऐसे शासकीय सेवक का, जो उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, इस आधार पर कि वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अयोग्य समझा गया है या उस के आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासकीय आधार पर निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना;

(पांच) किसी ऐसे शासकीय सेवक का, जो किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर, परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना;

(छः) किसी ऐसे शासकीय सेवक की, जिसकी कि सेवाएं संघ सरकार से या किसी अन्य राज्य शासन से या किसी ऐसे शासन के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली गयी हो, सेवाओं का उस प्राधिकरण के अधिकार में पुनः रखा जाना जिससे कि ऐसे शासकीय सेवक की सेवाएं उधार ली गयी थीं;

(सात) शासकीय सेवक का, उसकी अधिवार्षिकी या सेवा–निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार अनिवार्यतः सेवा–निवृत्त किया जाना;

(आठ) **(क)** परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक की सेवाओं का, उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार; या

(ख) आगामी आदेश होने तक के लिये नियुक्त किये गये किसी अस्थायी शासकीय सेवक की सेवाओं का, इस आधार पर कि उसकी सेवाओं की अब आगे आवश्यकता नहीं है; या

(ग) किसी करार के अधीन नियोजित शासकीय सेवक की सेवाओं का, ऐसे करार के निबंधों के अनुसार समाप्त किया जाना.

∞ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 6–4–77–3–एक, दि 26.09.1977 द्वारा उक्त परन्तुक का लोप किया गया जो राजपत्र दि 11.11.1977 में प्रकाशित है. पूर्व परन्तुक का प्रावधान निम्नानुसार है:–

''परन्तु किसी शासकीय सेवक को ऐसी किसी सेवा, ग्रेड या पद से, जिस पर कि वह शासकीय सेवा में अपने प्रवेश के समय नियुक्त किया गया था, निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर अवनत नहीं किया जाएगा.''

***Provisio- [Have been deleted]**

Explanation.- The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely:-

(i) withholding of increments of pay of a Government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of a Government servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion of a Government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a Government servant officiating in a higher Service, grade or post to a lower service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a Government servant, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent Service, grade, or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such prohibition;

(vi) replacement of the services of a Government servant, whose services had been borrowed from the Union Government or any other State Government or an authority under the control of any such Government, at the disposal of the authority from which the services of such Government Servant had been borrowed;

(vii) compulsory retirement of a Government servant in accordance with the provision relation to his superannuation or retirement;

(viii) termination of the services.-

(a) of a Government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation; or

(b) of a temporary Government servant appointed until further orders on the ground that his services are no longer required; or

(c) of a Government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

---

*Provisio have been deleted vide GAD Notification No 6-4-77-3-I, dated 26th September, 1977 and published in Madhya Pradesh Gazette (ordinary dated 11th November 1977. It was as following-

"Provided that a government Servant shall not be reduced to a service, grade or post lower than that to which he was appointed at the time of his entry in government Service"

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

11. चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सदस्यों के लिये दण्ड.— नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी की सेवा के शासकीय सेवक पर छोटी–मोटी असावधानी करने, समय का पालन न करने, आलस्य अथवा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिये *पचास** रूपये से अनधिक जुर्माने की शास्ति भी ^ *नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा* अधिरोपित की जा सकेगी :

परन्तु किसी भी शासकीय सेवक पर किसी भी मास में अधिरोपित अधिकतम जुर्माना *पचास** रूपये से अधिक नहीं होगा :

^ *परन्तु यह और भी कि इस नियम के अनुसार अधिरोपित जुर्माने का आदेश, नियम 29 के अधीन पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा.*

12. अनुशासिक प्राधिकारी.——

(1) राज्यपाल किसी भी शासकीय सेवक पर नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु उपनियम (3) के अपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति——

(क) राज्य सिविल सेवा के सदस्य पर, नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा;

(ख) राज्य सिविल पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति पर राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा अथवा ® नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किये गये प्राधिकारी द्वारा

अधिरोपित की जा सकेगी.

(3) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.——

(क) नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी कोई भी शास्ति भी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जायेगी जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ हो;

#परन्तु उच्च न्यायालय को, नियम 10 के खण्ड (छः) (जहां तक कि वह रैंक अर्थात् पद या सेवा में कटौती से सम्बन्धित है) तथा खण्ड (सात) से (नौ) में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों को छोड़कर समस्त शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी.

---

^ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1514–3533–एक–3–67, दिनांक 27.06.1967 द्वारा नियम 11 में शब्द *''नियुक्ति प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा''* स्थापित किया गया तथा द्वितीय परन्तुक जोडा गया है जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है. पूर्व का प्रावधान निम्नानुसार था—

''नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों के अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी की सेवा के शासकीय सेवक पर छोटी मोटी असावधानी करने, समय का पालन न करने, आलस्य अथवा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिये पांच रूपये से अनधिक जुर्माने की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी :

परन्तु किसी भी शासकीय सेवक पर किसी भी मास में अधिरोपित अधिकतम जुर्माना पांच रूपये से अधिक नहीं होगा.''

* सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–2002–3–एक, दि 17.06.2002 द्वारा ''रूपये पांच'' के स्थान पर ''रूपये पचास'' स्थापित किया गया.

® सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 503–सी–आर–437–एक–3–72 दि 25.08.1972 द्वारा नियम 12 (2)(ख) में ''अथवा'' से ''नियुक्ति'' के बीच के शब्दों ''जहां ऐसा कोई आदेश न दिया गया हो, वहां'' का लोप किया गया, जो राजपत्र दि 22.09.1972 में प्रकाशित है.

सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक, दि 20.05.1998 द्वारा नियम 12 (3) (क) के पश्चात् यह परन्तुक जोडा गया, जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

11. Punishment of Members of Class IV Service.-

Besides the penalties specified in Rule 10, the penalty of fine not exceeding *Rupees * fifty* may also be imposed on a Government servant belonging to class IV service £*"by the appointing authority or any other authority specified in the schedule in this behalf"*, for petty carelessness, unpunctuality, idleness or similar misconduct of a minor nature:

Provided that the maximum fine imposed on any Government servant in any month shall not exceed rupees * *fifty*;

£ *Provided further that the order of fine imposed in accordance with this rule shall not be subject to review under rule 29.*

12. Disciplinary Authorities.-

(1) The Governor may impose any of the penalties specified in rule 10 on any Government servant.

(2) Without prejudice to the Provisions of sub-rule (1), but subject to the provisions of sub-rule (3), any of the penalties specified in rule 10 may be imposed on-

(a) a member of a State Civil Service by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the Governor;

(b) a person appointed to a State Civil post by the authority specified in this behalf by a general or special order of the Governor or, ** by the appointing authority or the authority specified in the Schedule in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in this rule-

(a) no penalty specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority;

 # Provided that the high court shall have the power to impose all the penalties as specified in clause (vi) (So far as it relates to reduction in rank i.e. post of service), and clauses (vii) to (ix) of rule 10.

£ In Rule 11 words "by the appointing authority or any other authority specified in the schedule in this behalf" and the proviso inserted vide GAD Notification No. 1514-3533-I (iii)-67, dated 27th June 1967, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 7th July 1967.

Note.-To find out the previous rule 11, the words from "by the appointing...............to.................this behalf" and the second proviso to this rule shall be omitted from the amended rule 11.

* In rule 11,words "Rupees fifty" substituted in place of "Rupees five" amending vide GAD Notification No.C-6-5-2002-3EK, dated 17.06.2002 and pu8blished in M.P. Gazette dated 17.06.2002.

** In the said Rules, in clause (b) of sub-rule (2) of Rule 12, the words "where no such order has been made:" shall be omitted in between the words "Governor or ....by the", vide GAD Notification No. 503/C.R. 437/I(3)72, dated 25th August 1972, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 22nd September 1972.

In 12(3)(a) the proviso Inserted vide GAD Notification No. C-6-3-98-3-EK, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette date 21.05.98.

(ख) जहां कोई शासकीय सेवक, जो किसी सेवा का सदस्य हो, किसी अन्य सेवा या पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसे शासकीय सेवक पर, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तब तक ऐसी कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे प्राधिकारी से परामर्श न कर लिया हो जो कि उसका अधीनस्थ प्राधिकारी न हो तथा जो कि उस शासकीय सेवक पर उक्त शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिये उपनियम (2) के अधीन तब सक्षम होता जब कि वह (शासकीय सेवक) ऐसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त न किया गया होता.

व्याख्याः– जहां कोई ऐसा शासकीय सेवक, जो किसी भी श्रेणी की सेवा का हो या किसी भी श्रेणी का राज्य सिविल पद धारण करता हो, चाहे परिवीक्षा पर या अस्थायी रूप से ठीक आगे की उच्चतर श्रेणी की सेवा या सिविल पद पर पदोन्नत कर दिया जाय, तो वह, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर श्रेणी की सेवा का या ऐसी उच्चतर श्रेणी का राज्य सिविल पद धारण करने वाला समझा जाएगा.

13. **कार्यवाहियां संस्थित करने के लिये प्राधिकारी.––**

(1) राज्यपाल या उनके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी––

(क) किसी भी शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा;

(ख) अनुशासिक प्राधिकारी को किसी भी ऐसे शासकीय सेवक के, जिस पर कि वह अनुशासिक प्राधिकारी नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो, विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही संस्थित करने के लिये निर्देश दे सकेगा,

(2) नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये इन नियमों के अधीन सक्षम कोई अनुशासिक प्राधिकारी किसी भी शासकीय सेवक के विरूद्व, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिये अनुशासिक कार्यवाहियां इस बात के होते हुऐ, भी संस्थित कर सकेगा कि ऐसा अनुशासिक प्राधिकारी, उपरोक्त शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

(b) where a Government servant who is a member of a service, is temporarily appointed to any other Service or post, the authority competent to impose on such Government servant any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall not impose any such penalties unless it has consulted such authority, not being an authority subordinate to it, as would have been competent under sub-rule (2) to impose on the Government servant any of the said penalties had he not been appointed to such other Service or post.

Explanation.-Where a government servant belonging to a Service or holding a State Civil post of any class, is promoted, whether on probation or temporarily to the Service or civil post of the next higher class, he shall be deemed for the purposes of this rule to belong to the Service of, or hold the State Civil post of such higher class.

13. Authority to institute proceedings.-

(1) The Governor or any other authority empowered by him by general or special order may-

(a) institute disciplinary proceedings against any Government servant;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any Government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 10.

(2) A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 may institute disciplinary proceedings against any Government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

छठा भाग–शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया

14. **मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया.**––

(1) नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश, यावत्शक्य इस नियम में तथा नियम 15 में उपबंधित की गयी रीति में, या पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (क्रमांक 37 सन् 1850) द्वारा, जहां कि उस एक्ट के अधीन ऐसी जांच की जाती हो, उपबंधित की गयी रीति में की गयी जांच के पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं.

(2) जब कभी अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी शासकीय सेवक के विरूद्ध लागाये गये किसी अवचार या कदाचार के लांछन की सत्यता की जांच करने के लिये आधार है, तो वह (अनुशासिक प्राधिकारी) स्वयं जांच कर सकेगा या यथास्थिति इस नियम के अधीन या पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 के उपबन्धों के अधीन उसकी (लांछन की) सत्यता की जांच करने के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा.

π *परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीडन की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अंतर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये गठित की गयी समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गयी है, तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गयी प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.*

व्याख्या––जहां अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं जांच कर रहा हो, वहां उपनियम (7) से उपनियम (20) तक में तथा उपनियम (22) में जांचकर्ता प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई भी निर्देश अनुशासिक प्राधिकारी के प्रति किया गया निर्देश समझा जाएगा.

(3) जहां शासकीय सेवक के विरूद्ध इस नियम तथा नियम 15 के अधीन जांच करना प्रस्तावित हो वहां अनुशासिक प्राधिकारी––

(एक) अवचार या कदाचार के लांछन की विषय वस्तु को निश्चित तथा पृथक् आरोप पदों के रूप में लिखेगा या लिखवाएगा;

(दो) प्रत्येक आरोप पद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण बनाएगा या बनवाएगा जिसमें कि निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे :–

(क) शासकीय सेवक द्वारा की गयी स्वीकृति या संस्वीकृति को सम्मिलित करते हुऐ समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण;

(ख) उन दस्तावेजों की सूची जिनके कि द्वारा, तथा उन साक्षियों की सूची जिनके कि द्वारा आरोप पदों का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है.

π सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–1–2004–3–एक, दिनांक 17.03.2005 द्वारा नियम 14 (2) में यह परन्तुक जोडा गया है, जो राजपत्र दिनांक 17.03.2005 में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART VI- PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

14. Procedure for imposing major penalties.-

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 15 or in the manner provided by the Public Servants (inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Government servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof.

**provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule(3) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the enquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as for as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.*

Explanation.-Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiring authority shall be constructed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Government servant under this rule and rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up-

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain-

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Government servant;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

---

* In rule 14(2) the proviso inserted vide GAD's Notification C-6-1-2004-3-1, dated 17-03-2005 and published in MP Gazette 17-03-2005

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(4) अनुशासिक प्राधिकारी शासकीय सेवक को आरोप पदों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके कि द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, सूची की एक प्रतिलिपि परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा और शासकीय सेवक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि उल्लिखित किया जाय, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह भी बतलाये कि क्या वह अपनी व्यक्तिशः सुनवाई की जाने की वांन्छा करता है.

(5) **(क)** प्रतिवाद का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं, आरोप–पदों में से ऐसे आरोप पदों की जो स्वीकार नहीं किये गये हों, जांच कर सकेगा या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये, जांचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ; और जहां समस्त आरोप शासकीय सेवक द्वारा प्रतिपाद के अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिये गये हों, वहां अनुशासिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 15 में दी गयी रीति में कार्य करेगा.

(ख) यदि शासकीय सेवक द्वारा, प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत न किया जाय, तो अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं आरोप पदों की जांच करेगा, या उपनियम (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिये जांचकर्ताा प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे.

(ग) जहां अनुशासिक प्राधिकारी स्वयं किसी भी आरोप पद की जांच करे, या ऐसे आरोप की जांच करने के लिये किसी जांचकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति करे, तो वह आदेश द्वारा आरोप पदों के समर्थन में अपनी ओर से मामला, प्रस्तुत करने के लिये किसी शासकीय सेवक या विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकेगा जो कि **''प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी''** के नाम से जाना जाएगा.

(6) अनुशासिक प्राधिकारी, जहां कि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, वहां जांचकर्ता पदाधिकारी को वह——

(एक) आरोप पदों की तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि;

(दो) शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवाद के लिखित कथन की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि;

(तीन) उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये गये साक्षियों, यदि कोई हों, के विवरण की प्रतिलिपि;

(चार) शासकीय सेवक को उपनियम (3) में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों के परिदान को सिद्ध करने वाला साक्ष्य; और

(पांच) ''प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी'' को नियुक्त करने वाला आदेश की प्रतिलिपि;

अग्रेषित करेगा.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Government servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of document and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the Government servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) **(a)** On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary so to do, appoint, under sub-rule (2), an inquiring authority for the purpose; and where all the articles of charges have been admitted by the Government servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 15.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2), an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may by an order, appoint a Government servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority-

(i) a copy of the article of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the Government servant;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3);

(iv) evidence providing the delivery of the documents referred to in sub-rule (3) to the Government servant; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer."

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(7) शासकीय सेवक, आरोप पदों की तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति के दिनांक से दस कार्य दिवसों के भीतर ऐसे दिन तथा ऐसे समय पर, जिसकी जांचकर्ता पदाधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित करे, या दस दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर जैसा कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञात करे, जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिश: उपसंजात होगा.

(8) शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु वह इस प्रयोजन के लिये किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं लगा सकेगा जब तक कि अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न कर दे.

(9) यदि वह शासकीय सेवक, जिसने अपने प्रतिवाद के लिखित कथन में, आरोप पदों में से किसी भी आरोप–पद को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिवाद का कोई भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिवाद करना चाहता है और वह आरोप–पदो में से किसी भी आरोप–पद में का दोष स्वीकार करता है, तो जांचकर्ता प्राधिकारी उसे अभिवचन (प्ली) को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर उस शासकीय सेवक के हस्ताक्षर करावाएगा.

(10) जांचकर्ता प्राधिकारी उन आरोपों–पदों के सम्बन्ध में जिन्हें कि शासकीय सेवक स्वीकार करता है, दोषित का निष्कर्ष देगा.

(11) यदि शासकीय सेवक उल्लिखित समय के भीतर उपसंजात नहीं होता है या अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता है, तो जांचकर्ता प्राधिकारी, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसके द्वारा कि वह आरोप–पदों का सिद्ध करना प्रस्तावित करता हो, और उस मामले को, यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् कि शासकीय सेवक, अपना प्रतिपाद तैयार करने के प्रयोजन के लिये :––

> **(एक)** आदेश के दिनांक से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जिसकी कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में उल्लिखित किये गए दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा;
>
> **(दो)** अपनी ओर से पृच्छा किये जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा;
>
> **टिप्पणी,––**यदि शासकीय सेवक उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में वर्णित साक्षियों के कथनों की प्रतिलिपियां दिये जाने के लिये मौखिक रूप से या लिखित आवेदन करे, तो जांचकर्ता प्राधिकारी उसे यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसे समय पर, जो कि अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की पृच्छा प्रारम्भ होने के तीन दिन से अधिक पश्चात् का न हो, ऐसी प्रतिलिपियां देगा.
>
> **(तीन)** किन्हीं ऐसी दस्तावेजों का, जो कि शासन के अधिकार में है किन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट की गयी सूची में वर्णित नहीं है, पता लगाने या उसे पेश करने के लिये आदेश के दिनांक से दस दिन के भीतर अथवा दस दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर हो, जिसकी कि जांचकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञा दे, सूचना दे सकेगा.

(7) The Government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputation of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in written specify in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as inquiring authority may allow.

(8) The Government servant may take the assistance of any other Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

(9) If the Government servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Government servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of there articles of charge to which the Government servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the Government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Government servant may, for the purpose of preparing his defence-

> **(i)** inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the enquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3);
>
> **(ii)** submit a list of witnesses to be examined on his behalf.

Note.-If the Government servant applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

> **(iii)** Give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

टिप्पणी,—शासकीय सेवक उन दस्तावेजों की सुसंगति बतलाएगा जिनका कि शासन द्वारा पता लगाया जाने की या जिनके कि शासन द्वारा पेश किया जाने की उसने अपेक्षा की हो, ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक के लिये, जो कि तीस दिन अधिक पश्चात् का न हो, स्थगित कर देगा.

(12) दस्तावेजों का पता लगाया जाने या उन्हें प्रस्तुत किये जाने के लिये सूचना प्राप्त होने पर जांचकर्ता प्राधिकारी उसको (सूचना को) या उसकी प्रतिलिपियों को, उस प्राधिकारी की ओर जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हों, उन दस्तावेजों को ऐसे दिनांक तक, जो कि ऐसी अधियाचना में उल्लिखित किया जाय, पेश करने की अधियाचना के साथ अग्रेषित करेगा;

परन्तु जांचकर्ता प्राधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, उन दस्तावेजों में से ऐसे दस्तावेजों के लिए अधियाचना करने से इंकार कर सकेगा जो कि उसकी राय में, उस मामले से सुसंगत न हो.

(13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट की गयी अधियाचना के प्राप्त होने पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अधियाचित की गयी दस्तावेज हैं, उन्हें जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा.

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी कि अभिरक्षा या कब्जे में अधियाचित की गयी दस्तावेज हैं, उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह समाधान हो जाय कि ऐसे समस्त दस्तावेज या उनमें से किसी भी दस्तावेज का पेश किया जाना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा, तो वह जांचकर्ता प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी, इस प्रकार सूचित किये जाने पर, शासकीय सेवक को यह जानकारी संसूचित करेगा और ऐसे दस्तावेजों के पेश किये जाने या उनका पता लगाये जाने के लिये उसके द्वारा की गयी अधियाचना को वापस लेगा.

(14) जांच करने के लिये नियत किए गए दिनांक को, वह मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके कि द्वारा आरोप–पदों का सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किया जाएगा. साक्षियों की पृच्छा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की जाएगी और शासकीय सेवक द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपृच्छा की जा सकेगा. प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी साक्षियों की पुनः पृच्छा, ऐसे किन्हीं भी बिन्दुओं पर जिन पर कि उनकी प्रतिपृच्छा की गयी हो, करने का हकदार होगा किन्तु जांचकर्ता प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी भी नवीन विषय पर पुनः पृच्छा करने का हकदार नहीं होगा. जांचकर्ता प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे.

(15) अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से मामले को समाप्त किए जाने के पूर्व यदि यह आवश्यक प्रतीत हो, तो जांचकर्ता प्राधिकारी, स्वविवेक से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य, जो कि शासकीय सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा या वह स्वयं नवीन साक्ष्य मंगा सकेगा या किसी भी साक्षी को पूनः बुला सकेगा तथा उसकी पुनः पृच्छा कर सकेगा और ऐसे मामले में शासकीय सेवक, आगे पेश की जाने के लिए प्रस्तावित और साक्ष्य की सूची की प्रतिलिपि, यदि वह उसकी मांग करे, प्राप्त करने का और ऐसा करने साक्ष्य नवीन पेश किए जाने के पूर्व स्थगन का दिन तथा वह दिन, जिसके लिए कि जांच स्थगित की गयी हो, छोड़कर, पूरे तीन दिन के लिए उस जांच को स्थगित करवाने का हकदार होगा. जांचकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक को ऐसी दस्तावेजों का, अभिलेख में उनके सम्मिलित किए जाने के पूर्व, निरीक्षण करने का अवसर देगा, यदि जांचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि नवीन साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह शासकीय सेवक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा.

Note.- The Government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered are produced by the Government.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or production of all or any of such document would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the Government servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Government servant or may itself call for new evidence or re-call and re-examine any witness and in such case the Government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Government servant an opportunity of inspection such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the Government servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

टिप्पणी.—साक्ष्य में की कोई कमी पूरी करने के लिए नवीन साक्ष्य की न तो अनुज्ञा दी जाएगी, न नवीन साक्ष्य मंगाया जायेगा और नहीं किसी साक्षी को पुनः बुलाया जायेगा, ऐसा साक्ष्य तभी मंगाया जायेगा जबकि मूलतः प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में अंतर्भूत न्यूनता या त्रुटि हो.

(16) जब अनुशासिक प्राधिकारी की ओर से अपना पक्ष समाप्त कर दिया जाय, तब शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा कि वह अधिक पसन्द करे, वर्णित करे, यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाता है, तो वह अभिलिखित किया जाएगा और शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करे, दोनों में से किसी भी मामले में और प्रतिवाद के कथन की प्रतिलिपि, नियुक्त किए गए, प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी को, यदि कोई हो, दी जाएगी.

(17) तदनन्तर शासकीय सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा, यदि वह ऐसा करना अधिक पसन्द करे तो शासकीय सेवक अपनी ओर से स्वयं की पृच्छा कर सकेगा. तदनन्तर, शासकीय सेवक द्वारा पेश किए गए साक्षियों की पृच्छा की जाएगी और वे साक्षीगण इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा उनकी प्रतिपृच्छा, पुनः पृच्छा तथा पृच्छा अनुशासिक प्राधिकारी के पक्ष के साक्षियों को लागू होने वाले उपबन्धों के अनुसार की जाय.

(18) जांचकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक द्वारा अपना मामला समाप्त कर देने पर उस शासकीय सेवक को उसके विरूद्ध साक्ष्य में प्रतीत होने वाली किन्हीं भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से साक्ष्य में उसके विरूद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों पर उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा और उपर्युक्त रूप में साधारणतः प्रश्न तब करेगा जब कि शासकीय सेवक ने स्वयं पृच्छा न की हो.

(19) जांचकर्ता प्राधिकारी साक्ष्य का पेश किया जाना पूर्ण हो जाने के पश्चात्, नियुक्त किए गए प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी की, यदि कोई हो, तथा शासकीय सेवक की सुनवाई कर सकेगा, या उन्हें अपने–अपने मामले का लिखित निचय (ब्रीफ) फाईल करने की, यदि वे ऐसा करना चाहें, अनुज्ञा देगा.

(20) यदि वह शासकीय सेवक जिसे आरोप–पदों की प्रतिलिपि परिदत्त की गयी हो, प्रतिवाद का लिखित कथन उस प्रयोजन के लिए उल्लिखित किए गए दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है, या जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का पालन करने में अन्य प्रकार से असफल रहता है या वैसा करने से इंकार करता है तो जांचकर्ता प्राधिकारी एकपक्षीय जांच कर सकेगा.

(21) **(क)** जहां अनुशासिक प्राधिकारी ने, जो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, { किन्तु जो नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम न हो } किसी भी आरोप के पदों की जांच स्वयं की हो या करवाई हो और उस प्राधिकारी की, अपने या स्वयं के निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष में से किसी भी निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियां शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख ऐसे अनुशासिक प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा जो कि अंतिम वर्णित शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

Note.- New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the Government servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the Government servant shall be required to sign the record, in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the Government servant shall then be produced, The Government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Government servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witness for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the Government servant closes his case and shall, if the Government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed, and the Government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the Government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10, but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10, has itself inquired into or the articles of any charge and that authority having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the finding of any inquiring authority appointed by it, is of opinion that by penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant that authority shall forward the records of the inquiry to the such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(ख) वह अनुशासिक प्राधिकारी, जिसको कि अभिलेख इस प्रकार से अग्रेषित किए गए हों, अभिलेख में के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी भी साक्षी की और पृच्छा न्याय के हित में आवश्यक है तो उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी को पृच्छा, प्रतिपृच्छा और पुनः पृच्छा के सकेगा और शासकीय सेवक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे कि वह इन नियमों के अनुसार उचित समझे.

(22) जब कभी कोई जांचकर्ता प्राधिकारी किसी जांच में पूरे साक्ष्य या उसके किसी भाग की सुनवाई करने तथा उसे अभिलिखित करने के पश्चात्, उसमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना बन्द कर दे, और उसका उत्तराधिकारी होकर कोई अन्य ऐसा जांचकर्ता प्राधिकारी आए, जिसे ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त है और जो ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है तो इस प्रकार उत्तराधिकारी होकर आने वाला जांचकर्ता प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित किए गए या अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित किए गए और अंशतः स्वयं द्वारा अभिलिखित किए गए साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा:

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांचकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से, जिनका कि साक्ष्य पूर्व में ही अभिलिखित किया जा चुका है, किसी भी साक्षी की ओर पृच्छा न्याय के हित में आवश्यक है, तो इसमें पूर्व उपबंधित किए गए अनुसार किन्ही भी ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकेगा उनकी पृच्छा, प्रतिपृच्छा तथा पुनः पृच्छा कर सकेगा.

(23) **(एक)** जांच समाप्त होने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें :–

(क) आरोप पद तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण;

(ख) प्रत्येक आरोप पद के सम्बन्ध में शासकीय सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप पद के सम्बन्ध में साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) प्रत्येक आरोप पद पर निष्कर्ष और उनके कारण;

अन्तर्विष्ट होंगे.

व्याख्या:—यदि जांचकर्ता प्राधिकारी की राय में, जांच की कार्यवाहियों से मूल आरोप पदों से भिन्न कोई, आरोप सिद्ध होता है, तो वह ऐसे आरोप पद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे आरोप पद पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाऐंगे जब तक कि शासकीय सेवक या तो उन तथ्यों को, जिन पर ऐसा आरोप पद आधारित है, स्वीकार न कर लिया हो या उसे ऐसे आरोप पद के विरूद्ध अपना बचाव करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्राप्त न हो गया हो ;

(दो) जांचकर्ता प्राधिकारी जहां वह स्वयं अनुशासिक प्राधिकारी न हो, अनुशासिक प्राधिकारी की ओर जांच के अभिलेख भेजेगा जिनमें––

(क) खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट;

(ख) शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के क्रम में पेश किया गया मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी या शासकीय सेवक द्वारा या दोनों के द्वारा फाइल किए गए लिखित निचय (ब्रीफ) यदि कोई हों; और

(ङ) जांच के सम्बन्ध में अनुशासिक प्राधिकारी तथा जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हों;

सम्मिलित होंगे.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the Government Servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction herein and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or party recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) **(i)** after the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain-

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the decence of the Government servant in respect of each articles of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefore.

Explanation.- If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish and article of charge different from the original articles of the charge, it may record its finding on such article of charge:

Provided that the finding on such article of charge shall not be recorded unless the Government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include-

(a) the report prepared by it under clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the Government servant;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer of the Government Servant or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

***14–(क)** *नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, जहां आरोपों में भ्रष्टाचार या आचरण का कोई ऐसा आरोप अन्तर्विष्ट हो, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित होती है, वहां नियम 14 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.*

15. जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही :–

(1) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस मामले को जांचकर्ता प्राधिकारी की ओर और जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज सकेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी तदुपरान्त, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार और जांच करने के लिए अग्रसर होगा.

(2) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप पद पर जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो, ऐसी असहमति के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि अभिलेख में का साक्ष्य उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो.

(3) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप पदों या किसी भी आरोप पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुऐ, यह राय हो कि नियम *10 ** में* उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शामिल अधिरोपित करने वाला आदेश देगा**किन्तु ऐसा करते समय वह कारणों को लेखबद्ध करेगा:*

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, जांच का अभिलेख अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा आयोग की ओर, उसकी मंत्रणा के लिये अग्रेषित किया जाएगा और शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी मंत्रणा पर विचार किया जाएगा.

***** (4)** *विलोपित.*

---

*म.प्र.राजपत्र दि. 13.01.1984 में प्रकाशित सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–4–83–3–एक,दि.16.12.1983द्वारा नियम14–(क)जोडा गया तथा उपनियम(3)के अंत में अंतिम वाक्य''ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा''के स्थान पर''किन्तु.......करेगा.''स्थापित किया गया.

** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–एक, दिनांक 23.07.1984 द्वारा नियम 15 के उपनियम (3) में शब्द ''10'' से शब्द ''में'' के बीच के शब्दों ''के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक'' का लोप किया गया है. जो राजपत्र दि 03.08.1984 में प्रकाशित है.

*** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–एक, दिनांक 23.07.1984 द्वारा नियम 15 के उपनियम (4) का लोप किया गया, जो जो राजपत्र दि 03.08.1984 में प्रकाशित है. उक्त शब्द तथा उपनियम (4) निम्नानुसार थे :–

''(4) **(एक)** यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप –पदों या किसी भी आरोप– पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह, ––

(क) उसके द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट की तथा प्रत्येक आरोप–पद पर के अपने निष्कर्ष की प्रतिलिपि, या जहां जांच उसके द्वारा नियुक्त किये गये जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा की गयी हो, वहां ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि और प्रत्येक आरोप–पद पर के अपने निष्कर्ष का, अपनी असहमति के संक्षिप्त कारणों समेत, यदि कोई हो विवरण के जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष सहित शासकीय सेवक को देगा ;

(ख) शासकीय सेवक को सूचना देगा कि जिसमें उस पर अधिरोपित किये जाने के लिये प्रस्तावित शास्ति का वर्णन होगा और जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि अनुज्ञात किया जाय, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसे कि वह नियम 14 के अधीन की गयी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर, प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध करना चाहता हो;

(दो) **(क)** ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो खण्ड (एक) के आधीन दी गयी सूचना की प्रतिलिपि तथा ऐसी सूचना के अनुसरण में दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के साथ जांच का अभिलेख अनुशासिक प्राधिकारी के द्वारा आयोग की ओर उसको मंत्रणा के लिए अग्रेपित किया जाएगा.

(ख) अनुशासिक प्राधिकारी शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर तथा आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा पर विचार करने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि शासकीय सेवक पर कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, अधिरोपित की जाय और ऐसे आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(तीन) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक न हो, वहां अनुशासिक प्राधिकारी खण्ड (एक) के अधीन दी गयी सूचना के अनुसरण में शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और यह अवधारित करेगा कि कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, उस (शासकीय सेवक) पर अधिरोपित की जाय और ऐसा आदेश देगा कि जैसा कि वह उचित समझे.''

***#14-(A)** . Notwithstanding anything contained in rule 16, where the charges contain any charge of corruption or conduct involving moral turpitude, the procedure laid down in rule 14 shall be followed.*

(15). Action on the inquiry report.-

(1) The disciplinary authority if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 14 as for as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, records its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

***(3)** If the disciplinary authority having regard to its finding on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in **rule 10* should be imposed on the Government servant, it shall, notwithstanding any thing contained in rule 16, make an order imposing such penalty* *"but in doing so it shall record reasons in writing;"*

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the Government servant.

$ *Rule15 sub-rule (4) shall be omitted*

Rule 14-A and at the and of sub-rule (3) of rule 14, the words i.e., from "but in ...." shall be added vide GAD Notification No. F.C-6-4-83-3-I, dated 16th December 1983, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 13 January 1984.

*In sub-rule (3) of rule 15, the words, figures and brackets i.e. "clause (i) to (iv) of" in between the words "specified in......... rule 10" shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-I, dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984.

$ The following sub-rule 15(4) shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984:-

"(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its finding son all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government Servant, it shall,-

(a) furnish to the Government servant copy of the report of the enquiry held by it and its findings on each article of charge or, where the inquiry has been held by an inquiring authority, appointed by it, a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reason for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority;

(b) give the Government servant notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under Rule 14;

(ii) **(a)** In every case in which it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry, together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in pursuance of such notice, if any, shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice.

(b) the disciplinary authority shall after considering the representation, if any, made by the Government servant, and the advice given by the Commission, determine what penalty, if any, should be imposed on the Government servant and make such order as it may deem fit;

(iii) Where it is not necessary to consult the Commission the disciplinary authority shall consider the representation, if any, made by the Government servant in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty if any, should be imposed on him and make such order as it may deem fit.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

16. लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया .—

(1) नियम 15 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, शासकीय सेवक पर, नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक ***** *तथा नियम 11* में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को, अधिरोपित करने वाला कोई आदेश :——

(क) शासकीय सेवक को, उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की तथा ऐसे अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिनके आधार पर कि वह (कार्यवाही) की जाना प्रस्तावित है, लिखित इत्तिला दिये जाने के, और ऐसा अभ्यावेदन जिसे कि वह उस प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे, करने के लिए, युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कि अनुशासिक प्राधिकारी की राय यह हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में दी गयी रीति में जांच करने के;

(ग) खण्ड (क) के अधीन शासकीय सेवक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को तथा खण्ड (ख) के अधीन की गयी जांच, यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने के;

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के; और

(ङ) जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श करने के,—

पश्चात् ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं.

ᴿ *(1—क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, यदि किसी मामले में शासकीय सेवक द्वारा, उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना प्रस्तावित किया जाय और ऐसी वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोके जाने से शासकीय सेवक को देय पैंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो या किसी कालावधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो तो शासकीय सेवक पर, किसी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व नियम —14 के उपनियम (3) से (23) तक में दी गयी रीति में ऐसी जांच की जाएगी.*

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(एक) शासकीय सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव के प्रज्ञापन की, जो कि उस शासकीय सेवक को दिया गया हो, प्रतिलिपि;

(दो) उसको दिये गये अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रतिलिपि जो कि उसको परिदत्त की गयी हो;

---

*सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र 1514—3533—1—3—67, दिनांक 27.06.1967 द्वारा नियम 16 (1) में ''तथा नियम 11'' शब्द, अंक जोडे गये हैं, जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

ᴿ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी—6—30—92—3—एक, दिनांक 22.06.1992 द्वारा नियम 16 में उपनियम (1—क) जोडा गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.07.1992 में हुआ है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(16). Procedure for imposing minor penalties.-

(1) Subject to the provision of sub-rule (3) of rule 15, no order imposing on a Government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 *#and rule 11* shall be made except after,-

(a) informing the Government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour and which it is proposed to be taken, and given him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 14, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the Government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration:

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour;

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

***(1-A)** *Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government Servant under such withholding or increments of pay or Stagnation Allowance is likely to effect adversely the amount of pension payable to the Government Servant or to withhold increments of pay or Stagnation allowance for a period exceeding three years or to withhold increments of pay or Stagnation allowance with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 14, before making any order imposing on the Government Servant any such penalty.*

(2) The record of the proceedings in such cases shall include-

(i) a copy of the intimation to the Government servant of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

#In sub-rule (1) of Rule 16, after the word and figure rule 10, words and figure "and rule 11" shall be inserted vide GAD Notification No. 1514-1533-I(iii)-67, dated 27th June 1967, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 7th July 1967.

* In rule 16, sub rule (1-a) inserted vide GAD Notification No. C-6-30-92-3-EK, dated 22.06.92 and published in M.P. Gazette date 10.07.92.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(तीन) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(चार) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य;

(पांच) आयोग की मंत्रणा, यदि कोई हो;

(छः) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और

(सात) मामले में दिये गये आदेश उनके कारणों सहित.

17. आदेशों का संसूचित किया जाना.——अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश शासकीय सेवक को संसूचित किये जाऐंगे और उसे अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच की, यदि कोई हो, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां आरोप के प्रत्येक पद पर उसे निष्कर्ष की प्रतिलिपियां या जहां अनुशासिक प्राधिकारी जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, वहां जांचकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा अनुशासिक प्राधिकारी के निष्कषों का विवरण उसकी असहमति, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारणों समेत तथा जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों (यदि वे उसको पूर्व में ही न दिये गये हों) सहित तथा आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा की, यदि कोई हो, प्रतिलिपि और जहां अनुशासिक प्राधिकारी ने आयोग की मंत्रणा प्रतिग्रहित न की हो वहां ऐसे अप्रतिग्रहण के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाएगा.

18. सामान्य (कामन) कार्यवाही.——

(1) जहां किसी मामले में दो या अधिक शासकीय सेवक संबंधित हों, वहां राज्यपाल या कोई अन्य प्राधिकारी जो कि ऐसे समस्त शासकीय सेवकों पर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हों, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि उन समस्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही सामान्य (कामन) कार्यवाही में की जा सकेगी.

• *परन्तु इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा.*

टिप्पण.——यदि ऐसे शासकीय सेवकों पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न—भिन्न हों, तो सामान्य (कामन) कार्यवाही में अनुशासिक कार्यवाही करने का आदेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की सम्मति से दिया जा सकेगा.

(2) नियम 12 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी :——

(एक) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य (कामन) कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा.

(दो) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियां जिन्हें कि अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासिक प्राधिकारी सक्षम होगा; और

(तीन) यह कि क्या नियम 14 तथा नियम 15 तथा नियम 16 में दी गयी प्रक्रिया का कार्यवाही में अनुसरण किया जाएगा.

• नियम 18(1) के पश्चात् परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी—6—3—98—3—एक, दिनांक 20.05.1998 द्वारा जोडा गया है, जो राजपत्र दिनांक 21.05.1998 में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the advice of the Commission, if any;

(vi) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefore.

17. Communication of orders.- Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Government servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge, or, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its dis-agreement, if any, with the findings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him) and also a copy of the advice, if any given by the Commission and, where the disciplinary authority, has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

18. Common Proceedings.-

(1) Where two or more Government servants are concerned in any case, the Governor or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Government servant may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceedings.

** Provided that the powers conferred on the Governor under this rule shall in case of Judicial officers, be exercised by the chief justice.*

Note.- If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Government servant are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12, any such order shall specify-

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings;

(ii) the penalties specified in rule 10 which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in rule 14 and rule 15 or rule 16 shall be followed in the proceeding.

---

* The proviso of rule 18(1) inserted vide GAD Nonfiction No. C-6-3-98-3-I, dated 20.05.98 and published in M.P. Gazette date 21.05.98.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया—नियम 14 से नियम 18 तक में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी :—

(एक) जहां किसी शासकीय सेवक पर, ऐसे आचरण के आधार पर जिसके कि परिणामस्वरूप उसे किसी दाण्डिक आरोप के सम्बन्ध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, कोई शास्ति अधिरोपित की गई हो; या

(दो) जहां अनुशासिक प्राधिकारी का उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इन नियमों में उपबंधित की गई रीति में जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है; या

(तीन) जहां राज्यपाल का समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित की गयी रीति में कोई जांच करना इष्टकर नहीं है;

वहां अनुशासिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी भी मामले में कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

20. संघ सरकार या किन्हीं भी अन्य राज्य शासनों या किसी अधीनस्थ या स्थानीय प्राधिकरण आदि को उधार दिए गए पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध :—

(1) जहां किसी शासकीय सेवक की सेवायें एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को या संघ सरकार या किसी अन्य राज्य शासन या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार लेने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है) उधार दी गयी हों, वहां उधार लेने वाले प्राधिकरण को ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की ओर उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी :

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को, जिसने कि शासकीय सेवक की सेवायें उधार दी हों (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार देने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है), उन परिस्थितियों की तत्काल सूचना देगा जिनके कारण यथास्थिति शासकीय सेवक को निलम्बित करने के या अनुशासिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिए गए हों.

(2) शासकीय सेवक के विरूद्ध की गयी अनुशासिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए—

(एक) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकरण तथा उधार देने वाले प्राधिकरण की राय में भिन्नता होने की दशा में शासकीय सेवक की सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण के अधिकार में पुनः दे दी जायेंगी;

(दो) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 11 में उल्लिखित की गयी शास्ति चतुर्थ श्रेणी का शासकीय सेवा के किसी सदस्य पर अधिरोपित की जाय तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण से परामर्श किये बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा;

19. **Special procedure in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in rule 14 to rule 18-

(i) where any penalty is imposed on a Government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules; or

(iii) where the Governor is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these representations,

the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:

Provided that the Commission shall be consulted where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

20. **Provisions regarding officers lent to the Union or any other State Government or any subordinate or Local Authority, etc.-**

(1) Where the services of a Government servant are lent by one department to another department or to the Union Government or to any other State Government or any authority subordinate there to or to a local or other authority (hereinafter in this rule referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such Government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the Government servant (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such Government servant or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the Government servant-

(i) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that a penalty specified in rule 11 should be imposed on any member of class IV Government servant, it may impose such penalty without consulting the lending authority;

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(तीन) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाए, तो वह उसकी सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण के अधिकार में पुनः दे देगा तथा जांच की कार्यवाहियां उसकी ओर भेज देगा और तदुपरांत उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह अनुशासिक प्राधिकारी हो, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे, या यदि वह अनुशासिक प्राधिकारी न हो, तो वह मामला अनुशासिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो कि मामले में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व अनुशासिक प्राधिकारी नियम 15 के उपनियम (3) तथा (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा.

व्याख्या :– अनुशासिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे गये जांच के अभिलेख पर, या जहां तक हो सके नियम 14 के अनुसार ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश दे सकेगा.

21. संघ सरकार या अन्य राज्य शासनों आदि से उधार लिए गए पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध :–

(1) जहां किसी शासकीय सेवक के जिसकी सेवायें एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से या संघ सरकार से या किसी अन्य राज्य शासन से या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण से अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गयी हों, विरूद्ध निलम्बन का आदेश दिया गया हो या कोई अनुशासिक कार्यवाही की गयी हो, वहां उसकी सेवायें उधार देने वाले प्राधिकरण को (जो इस नियम में इसके पश्चात् ''उधार देने वाले प्राधिकरण'' के नाम से निर्दिष्ट है) उस परिस्थितियों की, जिनके परिणामस्वरूप यथास्थिति शासकीय सेवक को निलम्बित करने या उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये हों, जानकारी तत्काल दी जाएगी.

(2) शासकीय सेवक के विरूद्ध की गयी अनुशासिक कार्यवाहियों के निष्कर्षों के प्रकाश में, यदि अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति उस पर अधिरोपित की जाये, तो वह नियम 15 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :–

(एक) परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी की राय भिन्नता होने की दशा में शासकीय सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधिकार में पुनः दे दी जायेंगी;

(दो) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाए, तो वह ऐसे शासकीय सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधिकार में पुनः दे देगा तथा उसकी ओर जांच की कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाही के हेतु, जैसी कि वह आवश्यक समझे, भेज देगा.

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

(iii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it shall replace his services at the disposal the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provision of sub-rules (3) and (4) of rule 15.

Explanation. -The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with rule 14.

21. Provisions regarding officers borrowed from Union or other State Government etc.-

(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against a Government servant whose services have been borrowed by one department from other department or from the Union Government or any other State Government or an authority subordinate thereto or a local or other authorities, the authority leading his services (herein after in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances lending to the order of the suspension of the Government servant or of the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Government servant if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 should be imposed on him, it may subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 15, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it may deem necessary:-

(i) provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority the services of the Government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (ix) of rule 10 should be imposed on the Government servant, it shall replace the services of such Government servant at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

सातवां भाग–अपील

22. आदेश, जिनके कि विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है :– इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी,––

(एक) राज्यपाल द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के;

(दो) किसी भी ऐसे आदेश के जो अन्तःकालीन स्वरूप का या किसी अनुशासिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिये सहायक उपाय के स्वरूप का हो;

**(दो–क) नियम 11 के अधीन दिये गये किसी आदेश के ;*

(तीन) नियम 14 के अधीन जांच के अनुक्रम में जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के;

π*(चार) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई आदेश के;*

विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी.

23. आदेश, जिनके कि विरूद्ध अपील होती है :– नियम 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुऐ, शासकीय सेवक निम्नलिखित समस्त आदेशों के या उनमें से किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् :–

(एक) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो;

(दो) नियम 10 के अधीन अधिरोपित की गयी किसी भी शास्ति में वृद्धि करने वाला आदेश;

• *(तीन) नियम 9 के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलम्बन का आदेश.*

व्याख्या :––इस नियम में अभिव्यक्ति ''शासकीय सेवक'' में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अब शासकीय सेवा में नहीं रहा हो.

24. अपीलीय प्राधिकारी :––

(1) शासकीय सेवक, जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अब शासकीय सेवा में नहीं रहा है, नियम 23 में उल्लिखित किये गये समस्त आदेशों के या उनमें से किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को, जो कि या तो अनुसूची में या राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया हो, या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी उल्लिखित नहीं किया गया हो, तो वह––

(एक) जहां ऐसा शासकीय सेवक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की राज्य सिविल सेवा का सदस्य हो या था या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के किसी राज्य सिविल पद का धारक हो या था––

---

*नियम 22 का खण्ड (2–क) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1514–3533–एक–3–67, दि 27.06.1967 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

π नियम 22 का खण्ड (चार) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक दि 20.05.1998 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

• नियम 23 का खण्ड (तीन) सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–5–6–87–3–49 दि 01.10.1988 द्वारा जोडा गया है जो राजपत्र दि 28.10.1988 में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART-VII_APPEALS

22. Orders against which no appeal lies.-Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against,-

(i) any order made by the Governor;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid for the final disposal of a disciplinary proceeding;

* ***(ii-a)*** *any order passed under rule 11.*

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 14.

***(iv)*** *any order passed by the High Court as an Appellate Authority.*

23. Orders against which appeal lies.- Subject to the provisions of rule 22, a Government servant may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely;-

(i) an order imposing any of the penalties specified in rule 10 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority;

(ii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 10;

©***(iii)*** *an order of suspension made or deemed to have been made under rule 9.*

Explanation.- In this rule the expression " Government servant" includes a person who has ceased to be in Govt. service.

24. Appellate authorities.-

(1) A Government servant including a person who has ceased to be in Government service, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf either in Schedule or by a general or special order of the Governor or, where on such authority is specified,

(i) Where such Government servant is or was a member of a State Civil Service Class I or Class II or holder of a State Civil post, Class I or Class II-

---

* In Rule 22 after clause (ii), the clause "(ii-a)" shall be inserted vide GAD Notification No. 1514-3533-I (iii)-67, dated 27th June 1967, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 7th July 1967.

In Rule 22 after clause (iii), the clause "(iv)" shall be inserted vide GAD's Notification No C-6-3-98-3-ek, dated 20th May 1998, published in Madhya Pradesh Gazette dated 21th May 1998.

© The clause (iii) of rule 23 shall be inserted inserted vide GAD's Notification No C-5-6-87-3-49, dated 01-10-1988, published in Madhya Pradesh Gazette dated 28-10-1988.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, जहां वह आदेश, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी ने दिया हो; या

(ख) राज्यपाल को, जहां ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो.

(दो) जहां ऐसा शासकीय सेवक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की राज्य सिविल सेवा का सदस्य हो या था या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के, राज्य सिविल पद का धारक हो या था वहां उस प्राधिकारी को, जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो,

कर सकेगा.

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.——

(एक) नियम 18 के अधीन की गयी किसी सामान्य (कामन) कार्यवाही में के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिये अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां वह व्यक्ति, जिसने वह आदेश दिया हो, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा, ऐसे आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी हो जाये, वहां ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके कि ठीक अधीनस्थ ऐसा व्यक्ति हो.

25. अपीलों के लिए अवधिकाल :—— इस विभाग के अधीन की गयी कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील उस दिनांक से, जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, 45 दिन की कालावधि के भीतर न की जाये :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास, अपील समय पर न प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त कारण था.

26. अपील का प्रारूप तथा उसकी विषय–वस्तु.——

(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील प्रथक रूप से तथा अपने स्वयं के नाम से करेगा.

(2) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसको कि अपील होती हो, अपील की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो. उसमें वे समस्त सारवान कथन तथा तक्र अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर कि निर्भर हो उसमें कोई भी असम्मानपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी तथा वह स्वयंमेव पूर्ण होगी.

(3) वह प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश दिया हो, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है. अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर, उसे उस पर अपनी टिप्पणी के साथ तथा सुसंगत अभिलेखों के साथ अपरिहार्य विलम्ब के बिना तथा अपीलीय प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा न करते हुऐ, अपीलीय प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it; or

(b) to the Government, where such order is made by any other authority.

(ii) where such Government servant is or was a member of a State Civil Service Class III or Class IV or holder of a State Civil Post, Class III or Class IV, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),-

(i) an appeal against an order in a common proceeding held under rule 18 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding in immediately subordinate.

(ii) where the person who made the order appealed against becomes by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

25. Period of limitation for appeals..-

No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant;

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

26. Form and contents of appeal..-

(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be completed in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall in receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

27. अपील पर विचार.––

(1) निलम्बन आदेश के विरूद्ध की गयी अपील की दशा में अपीलीय प्राधिकारी नियम 9 के उपबंधों को एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ यह विचार करेगा कि क्या निलम्बन आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहृत करेगा.

(2) नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित की गयी किसी शास्ति में वृद्धि करने वाले आदेश के विरूद्ध की गयी अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी यह विचार करेगा कि–

(क) क्या इन नियमों में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं अपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय विफल हुआ है;

(ख) क्या अनुशासिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हैं; और

(ग) क्या अधिरोपित की गयी शास्ति या बढायी गयी शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; और––

(एक) शास्ति की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, उसमें कमी करने या उसे अपास्त करने में; या

(दो) उस मामले को ऐसे प्राधिकारी की ओर, जिसने कि शास्ति अधिरोपित की हो या उसमें वृद्धि की हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर, ऐसे निदेश सहित जैसे कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भेजने के,

आदेश पारित करेगा :

परन्तु––

(एक) उन समस्त मामलों में आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

#(दो) *यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में न की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 19 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुऐ, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबंधों के अनुसार की जाये और उसके पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे.*

---

* सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–5–6–87–3–49 दि 01.10.1988 जो राजपत्र दि 28.10.1988 में प्रकाशित है.द्वारा विद्यमान नियम 27 को उसके उपनियम (2) के रूप में क्रमांकित कर उसके पूर्व उपनियम (1) स्थापित किया गया.

नियम 27 के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर नया खण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क सी–6–5–83–3–एक, दि 23.07.1984 द्वारा स्थापित किये गये हैं. यह अधिसूचना दि 03.08.1984 के राजपत्र में प्रकाशित है. पूर्व के खण्ड (दो) के प्रावधान निम्नानुसार थे :–

''(दो) यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पूर्व में न की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबंधों के अनुसार की जाय और उसके पश्चात्, ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचार करने तथा अपीलार्थी को, ऐसी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 15 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे;''

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

27 ***Consideration of appeal-*

(1) *In the case of an appeal against, an order of suspension, the Appeallate authority shall consider whether in the light of provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm revoke the order, accordingly.*

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 10 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider;-

(a) whether the procedure laid down in these rules has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of Justice;

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass orders-

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that-

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary;

£(ii) *If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 19, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 14 and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiry, make such orders as it may deem fit.*

** In rule 27, sub rule (1), inserted and existed sub rule renumbered as sub rule (2) vide GAD Notification No.C-5-6-87-3-XLIX, dated 1.10.88 and published in M.P. Gazette 28.10.88.

£ Clause (ii), in proviso to rule 27, shall be substituted vide GAD's Notification No. C-6-5-83-1, dated 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated 3rd August 1984.

Note.-To find out the previous clause (ii), the following sentences shall be inserted before the last sentence i.e. "make such orders as it may deem fit" is amended clause-

"and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be, in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry".

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

#(तीन) *यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना या अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो, और मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को, प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे; और*

(चार) बढाई गयी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश किसी भी अन्य मामले में तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी बढाई गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 16 के उपबंधों के अनुसार न दे दिया गया हो.

28. **अपील में दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन.**—वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों को प्रभावी बनाएगा.

नियम 27 के परन्तुक के खण्ड (तीन) के स्थान पर नया खण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क सी–6–5–83–3–एक, दि 23.07.1984 द्वारा स्थापित किये गये हैं. यह अधिसूचना दि 03.08.1984 के राजपत्र में प्रकाशित है. पूर्व के खण्ड (तीन) के प्रावधान निम्नानुसार थे :–

''(तीन) यदि बढाई गयी शास्ति, जिसे अधिरोपित करना अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तावित करे, नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से एक शास्ति हो, तथा मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को, जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जहां तक हो सके, नियम 15 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह उचित समझे; और''

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

* ***(iii)*** *If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 10 and an inquiry under rule 14 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of making representation against the penalty proposed make such orders as it may deem fit.*

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as for as may be, in accordance with the provisions of rule 16, of making a representation against such enhanced penalty.

28. Implementation or orders in appeal.- The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

---

* Clause (iii), in proviso to rule 27, shall be substituted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I dated the 23rd July 1984, published in "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated the 3rd August 1984.

Note.- To find out previous clause (iii), the following sentences should be inserted in the amended clause in between the words "opportunity...of making" and in between the words "proposed................make such" respectively-

"as for as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 15".

"on the basis of the evidence adduced during the inquiry".

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

आठवां भाग–पुनर्विलोकन

29. पुनर्विलोकन :–

(1) **नियम 11 को छोड़कर* इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी.––

(एक) राज्यपाल, या

(दो) विभाग का अध्यक्ष, जो सीधा राज्य शासन के अधीन हो, ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन किसी विभाग या कार्यालय (जो सचिवालय न हो) में सेवा करने वाले शासकीय सेवक के मामले में, या

(तीन) अपीलीय प्राधिकारी, उस आदेश के, जिसका कि पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है, दिनांक से छः मास के भीतर, या

(चार) कोई अन्य प्राधिकारी, जो राज्यपाल द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में, उल्लिखित किया गया हो, और ऐसे समय के भीतर, जो कि ऐसे सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया जाय;

किसी भी समय, या तो स्व–प्रेरणा से या अन्यथा, किसी भी जांच के अभिलेख मंगा सकेगा/सकेंगे और इन नियमों के अधीन या नियम 34 द्वारा निरस्त किये गये नियमों के अधीन दिये गये ऐसे किसी भी आदेश का, जिसके कि विरूद्ध अपील अनुज्ञात है किन्तु कोई अपील नहीं की गयी हो या जिसके विरूद्ध कोई अपील अनुज्ञात नहीं हो, पुनर्विलोकन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, जहां कि ऐसा परामर्श किया जाना आवश्यक हो, कर सकेगा, और ––

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसे रूपभेदित कर सकेगा/सकेंगे, या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे; या

(ख) उस आदेश द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति की तुष्टि कर सकेगा/सकेंगे, उसमें कमी कर सकेगा/सकेंगे, या उसमें वृद्धि कर सकेगा/सकेंगे या उसे अपास्त कर सकेगा/सकेंगे या जहां कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी हो, वहां कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा/सकेंगे; या

(ग) मामले को, उस प्राधिकारी की ओर जिसने कि वह आदेश दिया हो या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और जांच, जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे, करने के निदेश देते हुऐ भेज सकेगा;

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे कि वह उचित समझे.

^***स्पष्टीकरण–एकः–*** *इस उपनियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां, जिला न्यायालय या उसके एवं अधीनस्थ न्यायालय में सेवा करने वाले तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग में लाई जायेंगी.*

~***स्पष्टीकरण–दोः–*** *इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा.*

---

*शब्द तथा अंक ''नियम 11 को छोड़कर'' सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क 1514–3533–1–3–67, दि. 27.06.1967 द्वारा जोडे गये, जो राजपत्र दि 07.07.1967 में प्रकाशित है.

^ नियम 29 के पश्चात् स्पष्टीकरण सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र 1204–3195–1–3–66,दि 17.05.1967 द्वारा जोडा गया.

~ सा.प्र.विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–3–98–3–एक दि 20.05.1998 द्वारा पूर्व स्पष्टीकरण को क्रमांकित 'एक' कर ''स्पष्टीकरण–दो'' स्थापित किया गया है जो राजपत्र दि 21.05.1998 में प्रकाशित है.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

PART VIII.-REVIEW

29. Review:-

(1) Notwithstanding anything contained *#"in these rules except rule 11"-*

(i) the Governor, or

(ii) the head of a department directly under the State Government, in the case of a Government servant serving in a department or office (not being the Secretariat), under the control of such head of a department, or

(iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be reviewed, or

(iv) any other authority specified in this behalf by the Governor by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order;

may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and review any order made under these rules or under the rules repealed by rule 34 from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, after consultation with the commission where such consultation is necessary, and may-

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed or;

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit ;

*** Explanation.- *I*** The powers conferred on the Governor under this sub-rule shall, in the case of a class III or class IV Government servant serving in a district court or a court subordinate thereto, be exercised by the Chief Justice;

*** **Explanation-II** The powers conferred on the Governor under this rule shall, in the case of Judicial officers be exercised by the High Court.*

In sub-rule (1) of rule 29, for the words "in these rules" the words and figures "in these rules except rule 11" shall be substituted vide GAD Notification No. 1514-3533-i (iii)-67 dated the 27th June 1967, published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Ordinary), dated the 7th July 1967.

* In rule 29 of the said Rules, below sub-rule (1), the explanation shall be inserted vide GAD Notification No. 1204-3195-I (iii)-67, dated 17th May 1967.

**Explanation II shall be inserted after explanation I, vide GAD's notification C-6-3-98-3-1, dated 20-05-1998 and published in MP Gazette dated 21-05-1998

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

परन्तु किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला या बढाने वाला कोई भी आदेश पुनर्विलोकन करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित शासकीय सेवक को प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 10 के खण्ड (पांच) से खण्ड (नौ) तक में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करना या उस आदेश द्वारा, जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, अधिरोपित की गयी शास्ति को उन्हीं खण्डों में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से किसी शास्ति तक बढाना प्रस्तावित है, वहां ऐसी शास्ति नियम 14 में दी गयी रीति में जांच करने के पश्चात् *तथा जहां आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक हो, वहां ऐसा परामर्श लेने के पश्चात् ही अधिरोपित की जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और भी कि पुनर्विलोकन की किसी भी शक्ति का प्रयोग विभाग के अध्यक्ष द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि––

(एक) वह प्राधिकारी, जिसने अपील में आदेश दिया हो, या

(दो) जहां कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी हो, वहां वह प्राधिकारी जिसे अपील प्रस्तुत की जाती,

उसका अधीनस्थ न हो.

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि,––

(एक) अपील के लिये अवधि काल समाप्त न हो जाय; या

(दो) जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी गयी है, वहां उसका निपटारा न हो जाय.

(3) पुनर्विलोकन के आवेदन पत्र पर उसी रीति में कार्यवाही की जाएगी मानो कि वह इन नियमों के अधीन अपील हो.

---

* नियम 29 के उपनियम (1) के परन्तुक में शब्द ''के पश्चात्.'' से ''तथा जहां'' के बीच के वाक्यांश का सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–5–83–3–1, दिनांक 23.07.1984 द्वारा लोप किया गया है. विलोपित वाक्यांश निम्नानुसार था :–

''तथा सम्बन्धित शासकीय सेवक को जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित की गयी शास्ति के विरूद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर लेने के पश्चात्''

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any reviewing authority unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it has proposed to impose any of the penalties specified in clauses (V) to (IX) of rule 10 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 14 * and except after consultation with the commission where such consultation is necessary:

Provided further that no power to review shall be exercised by the head of department unless-

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for review shall be commenced until after-

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal; or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.

---

* In proviso to sub-rule (1), in rule 29 the words **"and after giving a reasonable opportunity to the Government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the sentence adduced during .the inquiry"** shall be omitted vide GAD Notification No. C-6-5-83-3-I, dated 23rd July 1984, published in Madhya Pradesh Gazette (Ordinary), dated 3rd August 1984.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

नवां भाग—प्रकीर्ण

30. **आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील,**—इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, या जारी की गयी प्रत्येक सूचना तथा अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित शासकीय सेवक पर व्यक्तिशः की जाएगी या वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित की जाएगी.

31. **समयावधि को शिथिल करने तथा विलम्ब को दरगुजार करने की शक्ति.**—इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, इन नियमों के अधीन कोई आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से या पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिए इन नियमों में उल्लिखित किये गये समय में वृद्धि कर सकेगा या किसी विलम्ब को दरगुजार कर सकेगा.

32. **आयोग की मंत्रणा की प्रतिलिपि का दिया जाना.**——जब कभी इन नियमों में उपबंधित किये गये अनुसार आयोग से परामर्श किया जाय तब आयोग द्वारा दी गयी मंत्रणा की प्रतिलिपि और जहां ऐसी मंत्रणा प्रतिग्रहित नहीं की गयी हो, वहां ऐसे अप्रतिग्रहण के लिए कारणों का एक संक्षिप्त विवरण भी उस मामले में पारित किये गये आदेश की प्रतिलिपि सहित, आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित शासकीय सेवक को दिया जाएगा.

33. **संक्रमणकालीन उपबंध.**—इन नियमों के प्रारम्भ होने पर तथा उनके प्रारम्भ से और इन नियमों के अधीन अनुसूचियों के प्रकाशित होने तक समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूचियों को, उन शासकीय सेवकों के, जिन्हें कि वे इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व लागू होती हों, सम्बन्धित प्रवर्गों से सम्बन्धित अनुसूचियां समझी जायेंगी, और ऐसी अनुसूचियां इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों में निर्दिष्ट की गयी अनुसूचियां समझी जाएगी.

34. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—

(1) नियम 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 तथा उनके अधीन जारी की गयी कोई भी अधिसूचनाएं या जारी किये गये आदेश, जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु यह कि——

(क) ऐसे निरसन का, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या उनके अधीन की गयी किसी अधिसूचना या दिये गये आदेश या की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा;

(ख) उक्त नियमों के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाहियां, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हो, चालू रखी जाएगी तथा जहां तक हो सके इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो कि ऐसी कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन कार्यवाहियां हो.

(2) इन नियमों में कि किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि यह नियम लागू होते हैं, अपील के किसी ऐसे अधिकार से वंचित करती है जो कि उसे इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्राप्त हुऐ थे.

PART- IX -- MISCELLANEOUS

30. Service of orders notices etc.-Every order, notice and other process made of issued under these rules shall be served in person in the Government servant concerned of communicated to him be registered post.

31. Power to relax time-limit and to condone delay.- Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown extend the time specified in these rules for anything required to be done under these rules or condone any delay.

32. Supply of copy of commission's advice.- Whenever the Commission is consulted as provided in these rules, a copy of the advice by the Commission, and where such advice had not been accepted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the Government servant concerned along with a copy of the order passed in the case, by the authority making the order.

33. Transitory Provisions.- On and from the commencement of these rules until the publication of the Schedules under these rules, the Schedules to the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time, shall be deemed to be the Schedules relating to the respective categories of Government servants to whom they are, immediately before the commencement of these rules, applicable and such Schedules shall be deemed to be the Schedules referred to in the corresponding provisions of these rules.

34. Repeal and Saving.-

(1) Subject to the provisions of rule 33, the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and any notifications or orders issued there under in so far as they are in consistent with these rules, are hereby repealed:

Provided That-

(a) such appeal shall not affect the previous operation of the said rules, or any notification or order made, or anything, done, or any action taken, there under;

(b) any proceedings under the said rules, pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far may be in accordance with the provisions of these rules, as if such proceedings were under these rules.

(2) Nothing in these rules shall be construed as depriving any persons to whom these rules apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notification or orders in force before the commencement of these rules.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व दिये गये आदेश के विरूद्ध लम्बित किसी अपील पर इन नियमों के अनुसार उसी प्रकार विचार किया जाएगा तथा उस पर आदेश उसी प्रकार दिये जायेंगे मानो कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन किये गये थे तथा अपील इन नियमों के अधीन प्रस्तुत की गयी थी.

(4) इन नियमों के प्रारम्भ के समय से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किन्हीं आदेशों के विरूद्ध कोई भी अपील, इन नियमों के अधीन उसी प्रकार की जायेगी या पुनर्विलोकन सम्बन्धी आवेदन–पत्र इन नियमों के अधीन उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा मानो कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन दिये गये थे;

परन्तु इन नियमों में कि किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी अवधि में, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त किसी नियम द्वारा उपबंधित की गयी हो, कमी करती है.

35. **शंकाओं का निवारण.**—यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो मामला राज्यपाल को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो कि राज्यपाल द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लिखित किया जाय, निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल या ऐसा अन्य प्राधिकारी उसे विनिश्चित करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीनारायण सरजे,
अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1966

क्रमांक 2937–2414–एक–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र 2936–2414–एक(3), दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीनारायण सरजे,
अतिरिक्त सचिव.

(3) An appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and order there on shall be made, in accordance with these rules, as if such order were made and the appeal where preferred under these rules.

(4) As form the commencement of these rules any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these rules, as if such orders were made under these rules.

Provided that nothing in these rules shall be construed as reducing any period of limitation for any appeal or review provided by any rule in force before the commencement of these rules.

35. Removal of doubts.- If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the Governor or such other authority as may be specified by the Governor by a general or special order, and the Governor or such other authority shall decide the same .

By order and in the name of the Governor

of Madhya Pradesh

L.B. SARJE, Addl. Secy.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्बन्धी आदेशों के मानक प्रारूप.

Standard form of orders regarding the proceedings under The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control And Appeal), Rules, 1966

....

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

निलम्बन आदेश का मानक प्ररूप

(मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9(1) एवं (2) देखें)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्रमांक......................................: चूंकि श्री ....**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है/लम्बित है/आपराधिक प्रकरण में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता **(नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके वह अधीन हो या इस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी),** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)/(2) के खण्ड (क)/(ख) .के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री................................ **(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)**.को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

पुनश्च, आदेशित किया जाता है कि इस अवधि में आदेश के प्रभावशील रहते हुऐ **श्री** ....**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** का मुख्यालय ....**(स्थान का नाम)** रहेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

हस्ता/–
(सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद)

पृ क्रमांक...................................... स्थान एवं दिनांक..............................

1. श्री.............................(निलम्बित शासकीय सेवक का नाम व पद) को पालनार्थ,
2. ....(नियुक्ति प्राधिकारी)
3. ....(उधारग्रहीता प्राधिकारी जहां आवश्यक हो)
4. वे परिस्थितियां जिनमें निलम्बन आदेश जारी किये गये, निम्नानुसार हैं:–

(निलम्बन के कारण एवं प्रकरण का विवरण दें)

(जो लागू न हों काट दें)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

निलम्बित शासकीय सेवक द्वारा मूलभूत नियम 53(2) के अधीन प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्ररूप

———

मैं, ...(शासकीय सेवक का नाम) ....पद पर रहते हुऐ दिनांक...........................द्वारा निलम्बित किया गया हूं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि मैं किसी व्यवसाय/पेशा या लाभ/पारिश्रमिक/वेतन के लिए किसी बृत्ति में नियुक्त नहीं रहा हूं।

हस्ता/–
(शासकीय सेवक का नाम एवं पता)

पुलिस अभिरक्षा में रहने पर शासकीय सेवक का निलम्बन आदेश का प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्रमांक..................................: चूंकि, श्री.................................**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण अन्वेषणाधीन है,

और चूंकि श्री.................................को दिनांक.....................को 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा गया,

अतएव, श्री...को अभिरक्षा की तिथि से, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम...........के अधीन निलम्बित किया गया समझा जाय तथा आगामी आदेश तक निलम्बनाधीन बने रहेंगे।

हस्ता/–
(सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

विभागीय जांच में निलम्बन प्रतिसंहृत किये जाने वाले आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम– 9 (5))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्रमांक...............................: चूंकि, श्री...............................**(शासकीय सेवक का नाम एवं पद)** को ....द्वारा दि ....से निलम्बित किया गया/निलम्बित किया गया समझा गया, के आदेश पारित किये गये थे।

अतएव, अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता **(वह प्राधिकारी जिसके द्वारा निलम्बन आदेश पारित किया गया या पारित किया गया समझा गया या उक्त प्राधिकारी के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी),** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (5) (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, उक्त निलम्बन आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहृत करते हैं।

हस्ता/–
(आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पद)

पृ क्रमांक....................................... स्थान एवं दिनांक..............................

1. श्री.....................................(निलम्बित शासकीय सेवक का नाम व पद),
2. ....(नियुक्ति प्राधिकारी)
3. ....(उधारग्रहीता निलम्बनकर्ता प्राधिकारी जहां आवश्यक हो)
4. ....(निलम्बन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी)
5. **निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत किये जाने के कारण निम्नानुसार हैं:–**

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

मुख्य शास्ति हेतु आरोप–पत्र का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम–14)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

क्रमांक.................................: अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन श्री .... के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करना प्रस्तावित करते हैं। अवचार या दुर्व्यवहार के अध्यारोपों का सारांश, जिसके सम्बन्ध में जांच की जाना प्रस्तावित है, आरोप पदों के कथन **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। प्रत्येक अरोप पद के समर्थन में अवचार/दुर्व्यवहार का अभिकथन **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। आरोप पदो के प्रमाण में दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूचियां भी क्रमशः **परिशिष्ट–3 एवं 4** पर संलग्न है।

2– श्री .... को निर्देशित किया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति से 10 दिवस के अन्दर अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखते हैं।

3– सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्हीं आरोप पदों के सम्बन्ध में संस्थित की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। अतएव प्रत्येक आरोप पद को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

4– श्री. .... को और सूचित किया जाता है कि यदि वह बचाव में लिखित अभिकथन एवं जानकारी उपर्युक्त कण्डिका–2 में वर्णित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करते हैं या जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होते हैं या अन्यथा असफल होते हैं या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के प्रावधानों का अथवा उक्त नियम के संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने से इंकार करते हैं तो जांच प्राधिकारी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

5– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 की ओर श्री ....का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक अपने हित में उसकी सेवा के मामले में किसी उच्च प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या वाहय प्रभाव नहीं डालेगा। यदि इन कार्यवाहियों में किसी भी मामले पर अपने पक्ष में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री...को ऐसे प्रतिनिधित्व की जानकारी है तथा यह आपकी प्रेरणा से किया गया है और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

6– ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,
श्री.......................................(संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

परिशिष्ट–1

श्री .... के विरूद्ध आरोप–पदों का अभिकथन

पद–1
यह कि श्री ....जब ....की अवधि में .... कार्य करते हुऐ..
....

पद–2
यह कि उपर्युक्त अवधि में तथा उपर्युक्त कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान श्री..................................
....
....

पद–3
यह कि उपर्युक्त अवधि में एवं उपर्युक्त कार्यालय में कार्यरत रहते हुऐ श्री..
....
....

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

परिशिष्ट–2

श्री .... के विरूद्ध आरोप–पदो के समर्थन में अवचार या दुर्व्यवहार के प्रकरण में अभिकथन

पद–1
यह कि ....
....
....
....

पद–2
यह कि ....
....
....
....

पद–3
यह कि ....
....
....
....

Jaithari Road Anuppur, District- Anuppur, Madhya Pradesh, Pin Code:- 484224 www.gtcanuppur.ac.in

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

परिशिष्ट–3

उन दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा श्री .... के विरूद्ध निर्धारित आरोप पदों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

परिशिष्ट–4

उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा श्री .... के विरूद्ध निर्धारित आरोप पदों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है–

1. श्री ....

2. श्री ....

3. श्री ....

4. श्री ....

5. श्री ....

6. श्री...

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

जांच समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्रमांक.....................................: चूंकि, श्री ....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि श्री.................................के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, जांच समिति नियुक्त करते हैं जिसमें सम्मिलित होंगे :–

1. श्री..
2. श्री..
3. श्री..

(जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद लिखें)

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रतिलिपि,

श्री ....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री ....(सम्बन्धित संबंधित जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद)
श्री ....(उधारग्रहीता प्राधिकारी का नाम एवं पद जहां आवश्यक हो)

को सूचनार्थ।

जांच प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम–14 (2))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक)..............

क्र ....: चूंकि, श्री ....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि श्री...................................के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री..................................(जांचकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पद) को श्री.................................के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री ....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री ....(सम्बन्धित संबंधित जांच समिति के सदस्यों के नाम एवं पद)
श्री ....(उधारग्रहीता प्राधिकारी का नाम एवं पद जहां आवश्यक हो)

को सूचनार्थ।

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

पूर्व नियुक्त जांच अधिकारी के स्थान पर नियुक्ति आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14 (22))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

क्र ....: चूंकि, श्री ....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

चूंकि, श्री............................के विरूद्ध आरोपों की जांच के लिए आदेश क्र............................ दिनांक.......................द्वारा, श्री....................................को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया था,

और चूंकि, श्री................................(पूर्व जांच अधिकारी का नाम एवं पद) पूर्ण/आंशिक प्रमाण अभिलिखित कर तथा सुनवाई उपरांत स्थानांतरित हो गये हैं/उपलब्ध नहीं हैं और श्री........................ ....के विरूद्ध आरोपों की जांच हेतु अन्य जांच प्राधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (22) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री ....(प्रस्तावित जांच अधिकारी का नाम एवं पद) को श्री..के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री ....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री ....(नये जांच अधिकारी का नाम एवं पद)

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 14 (5)(ग))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

क्र ....: चूंकि, श्री ....के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 के अधीन जांच संस्थित की जा रही है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि प्रकरण में आरोप–पदों को प्रमाणित करने के लिए राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाना चाहिए,

अतएव, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपर्युक्त नियमों के नियम 14 (5)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री...................................(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
विहित/अनुशासिक प्राधिकारी का नाम
एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री ....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद)
श्री ....(सम्बन्धित शासकीय सेवक का नाम एवं पद)
श्री ....(जांचकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

लघुशास्ति हेतु आरोप–ज्ञापन का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16 (एक) (क))

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

क्र ....: चूंकि, श्री ....(नाम एवं पद तथा कार्यालय का नाम जिसमें वह कार्यरत है) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या दुर्व्यवहार के अभिकथन जिन पर उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तावित है, संलग्न है।

श्री..को प्रस्ताव के विरूद्ध जैसा कि वह चाहे, पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा, अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि श्री.......................................इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पक्ष में कोई आधार नहीं है तथा श्री.................................के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये जाऐंगे।

श्री...द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
विहित/अनुशासिक प्राधिकारी का नाम
एवं पद

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

लघुशास्ति हेतु कार्यवाही संस्थित करने के लिए मानक प्ररूप
(ऐसे मामले जिनमें अनुशासिक प्राधिकारी जांच संस्थित करने का निर्णय लेते हैं)

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक)..............

क्र ....: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन जारी ज्ञापन क्र.......................................दि ....के तारतम्य में राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का मत है कि उक्त नियमों के नियम 16 के अधीन श्री ....के विरूद्ध जांच संस्थित करना आवश्यक है। अवचार या दुर्व्यवहार के अभिकथन, जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावित है, संलग्न आरोप–पद **परिशिष्ट–1** पर है। प्रत्येक आरोप–पद की पुष्टि में अवचार/दुर्व्यवहार के अभिकथन **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। अभिलेखों की सूची तथा साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप पद प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, क्रमशः **परिशिष्ट– 3 एवं 4** पर संलग्न है।

2– श्री.................................को निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के अंदर अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें तथा बतायें कि क्या वह व्यक्तिशः सुनवाई के इच्छुक हैं ?

3– सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्हीं आरोप पदों के सम्बन्ध में संस्थित की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। अतएव प्रत्येक आरोप पद को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

4– श्री. .... को और सूचित किया जाता है कि यदि वह बचाव में लिखित अभिकथन एवं जानकारी उपर्युक्त कण्डिका–2 में वर्णित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करते हैं या जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होते हैं या अन्यथा असफल होते हैं या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों का अथवा उक्त नियम के संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने से इंकार करते हैं तो जांच प्राधिकारी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

5– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 की ओर श्री .... का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक अपने हित में उसकी सेवा के मामले में किसी उच्च प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या वाह्य प्रभाव नहीं डालेगा। यदि इन कार्यवाहियों में किसी भी मामले पर अपने पक्ष में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री...को ऐसे प्रतिनिधित्व की जानकारी है तथा यह आपकी प्रेरणा से किया गया है और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 21 का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

6– ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,
श्री..(संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

संयुक्त विभागीय जांच में अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, निम्नलिखित शासकीय सेवक, अनुशासनिक प्रकरण में संयुक्त रूप से भागीदार हैं :–

1. श्री.......................................
2. श्री.......................................
3. श्री.......................................
4. श्री.......................................
5. श्री.......................................

अतएव, अब मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतदद्वारा, निर्देशित करते हैं :––

(एक) कि समस्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संयुक्त कार्यवाही के अधीन की जाएगी।

(दो) कि श्री.......................................(प्राधिकारी का नाम एवं पद) संयुक्त कार्यवाही के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे तथा निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए विहित होंगे, अर्थात् :–
(शास्तियों का उल्लेख करें)

(तीन) कि नियम 18 में विहित प्रावधानों का अनुगमन इस जांच में किया जाएगा।

हस्ता/–
(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,

श्री.......................................
श्री.......................................
श्री.......................................

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

संयुक्त विभागीय जांच में जांच प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम

विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 18 के अधीन निम्नांकित शासकीय सेवकों के विरूद्ध जांच संस्थित की जा रही है :–

1 श्री.....................................
2. श्री.....................................
3. श्री.....................................
4. श्री.....................................
5. श्री.....................................

चूंकि, उपर्युक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही संस्थित की गयी है,

और चूंकि, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी नियुक्त किया जाए,

अतएव, अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त नियमों के नियम 18 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री ....(जांच अधिकारी का नाम एवं पद) को उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता/–
अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि,
1. अपचारी शासकीय सेवक
2. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
3. जांच प्राधिकारी संबंधित अभिलेखों सहित
4. राज्य सतक्रता आयोग(जहां आवश्यक हो)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

संयुक्त विभागीय जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 18)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम– 18 के अधीन निम्नांकित शासकीय सेवकों के विरूद्ध जांच संस्थित की जा रही है :–

2 श्री.......................................
2. श्री.......................................
3. श्री.......................................
4. श्री.......................................
5. श्री.......................................

चूंकि, उपर्युक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही संस्थित की गयी है,

और चूंकि, राज्यपाल / अधोहस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि जांच प्राधिकारी के समक्ष उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है,

अतएव, अब, राज्यपाल / अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त नियमों के नियम 18 सहपठित 14 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, एतद्द्वारा, श्री ....(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद) को जांच अधिकारी के समक्ष उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोप पदों की पुष्टि हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

हस्ता / –
अनुशासनिक प्राधिकारी

प्रतिलिपि,
1. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
2. अपचारी शासकीय सेवक
3. जांचकर्ता अधिकारी
4. जांच प्राधिकारी संबंधित अभिलेखों सहित
5. राज्य सतक्रता आयोग(जहां आवश्यक हो)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

विभागीय जांच में शासकीय सेवक के दोषसिद्ध पाये जाने पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966)

कार्यालय का नाम

विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, श्री..(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाया गया है

और चूंकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अधीन, आरोपों को ध्यान में रखते हुऐ समुचित शास्ति दी जाना प्रस्तावित करते हैं,

और चूंकि, शास्ति के परिमाण के बारे में निर्णय लिये जाने से पूर्व श्री.. को नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही क्यों न की जाय, के सन्दर्भ में व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था,

और चूंकि, जांच प्रतिवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर (प्रति संलग्न है) राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता अस्थायी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री.. आरोपों की गंभीरता के अनुरूप **लघु/मुख्य शास्ति** अधिरोपित की जा सकती है और तदनुसार उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (..........) के अधीन ....की शास्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है,

अतएव अब, श्री...को उक्त प्रस्तावित शास्ति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कोई भी पक्ष जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसा पक्ष यदि कोई हो, श्री...को इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस से अनधिक समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज्ञाप की प्राप्ति प्रस्तुत की जाय।

हस्ता/–

विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

टीपः–उपर्युक्त प्ररूप में प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार अनावश्यक भाग को निकाल देना चाहिए।

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

विभागीय जांच में शासकीय सेवक के दोषसिद्ध पाये जाने पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, श्री...(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाया गया है

और चूंकि, विचार किया गया कि श्री..का अवचार आरोपों की गंभीरता के अनुसार लघु/मुख्य शास्ति अधिरोपित करने योग्य है,

और चूंकि, श्री..को व्यक्तिशः सुनवाई तथा लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था,

और चूंकि, श्री.. अपना लिखित अभिकथन दे चुके हैं जिस पर राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् विचार किया गया,

अब इसलिए, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श (जहां आवश्यक हो) से राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा, श्री..पर उक्त नियमों के नियम 10 (.....) में उल्लेखित ....की शास्ति अधिरोपित करते हैं।

हस्ता/–
विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

न्यायालयीन अपील में निर्णय होने पर शास्ति संबंधी आदेश निरस्त करने के लिए आदेश का मानक प्ररूप

(देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम)

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

आदेश

क्र..: चूंकि, श्री...(शासकीय सेवक का नाम एवं पद) को आपराधिक आरोपों में मा. ....न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के आधार पर आदेश क्रमांक..................... दिनांक................द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (..) में उल्लेखित ....की शास्ति अधिरोपित की गयी थी।

और चूंकि, सक्षम विधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक ....द्वारा उक्त दोषसिद्धि निरस्त की गयी है तथा श्री ....को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया है,

अतएव अब, राज्यपाल/अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा, ...की शास्ति सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हैं।

हस्ता/–
सक्षम अधिकारी का नाम एवं पद

लोक सेवक/निजी व्यक्तिगत साक्षी को बुलाने के लिए प्ररूप

——

क्रमांक...

कार्यालय का नाम
विभाग का नाम.

(स्थान एवं दिनांक).............

प्रति,

महोदय,

मैं, श्री...के विरूद्ध जांच कार्यवाही में जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया हूं। इस प्रकरण में आपका साक्ष्य महत्वपूर्ण समझा गया है। निवेदन है कि आप मेरे समक्ष दिनांक..... ....को ....बजे..............................स्थान पर उपस्थित हों। एक दिन से अधिक यहां आपको रोके जाने की संभावना नहीं है।

भवदीय,
हस्ता/—
जांच अधिकारी का नाम एवं पद

प्रतिलिपि,

श्री......................(शासकीय सेवक साक्षी का नाम) से निवेदन है कि उक्त तिथियों में जांच में उपस्थित हों।

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

साक्षियों हेतु जांच अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..................................(साक्षी का नाम एवं पद, कार्यालय इत्यादि) दिनांक............................को ....स्थान पर श्री....................................के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित हुऐ तथा उन्हें दि..........................को बजे कार्यमुक्त किया गया।

उनकी यात्रा एवं अन्य व्यय के लिए उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

स्थान...........

दिनांक.........

हस्ता / –

अनुशासनिक / जांच अधिकारी

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/बचाव सहायक को जांच अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्ररूप

——

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..................................(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/बचाव सहायक का नाम एवं पद, कार्यालय इत्यादि) दिनांक............................को ....स्थान पर श्री. ....के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही में आरोपों के समर्थन में/श्री...... ....के पक्ष में सहायता करने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हुऐ।

उनकी इस यात्रा एवं अन्य व्यय के सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

स्थान...........

दिनांक........

हस्ता/–

अनुशासनिक/जांच अधिकारी

प्रतिलिपि,

..................................विभाग को सूचनार्थ ।

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8 फरवरी, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही.

सन्दर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 6-3/77/3/1, दिनांक 15-9-77, क्रमांक सी 6-2/80/3/1, दिनांक 6-10-80 एवं सी 6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-98.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत ये निदेश जारी किये गये थे कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध में दोषी पाये जाने के कराण दण्डित किया गया है, जिससे उस शासकीय सेवक के नैतिक पतन होने का आभास होता हो और उसे शासकीय सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के नियम 19(1) के अन्तर्गत उस शासकीय सेवक पर उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे. अर्थात् आपराधिक आरोपों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवक के विरुद्ध "संक्षिप्त जांच" करने के उपरांत मामले के गुणदोष पर विचार कर उचित शास्ति अधिरोपित करें. इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि उस शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर कर दी है इसलिये शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती.

2. उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण सामन आये हैं जिसमें शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध पाये जाने पर भी प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारियों ने संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की. भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिये विधि विभाग के परामर्श से समस्त प्रशासकीय विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये निम्नानुसार निदेश जारी किये जाते हैं:—

(क) सेवारत् शासकीय सेवकों के मामलों में :—

1. उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते हैं जिसमें उनका नैतिक पतन अंतर्विलित हो तो यह अपेक्षा है कि उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित "सेवा से पदच्युत (dismissal) करने" की शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिये.

2. उक्त प्रकार के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 सहपठित नियम 14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है, साथ ही, संबंधित शासकीय सेवक को कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना देना भी आवश्यक नहीं है अर्थात दण्डादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है.

3. यदि संबंधित अपचारी शासकीय सेवक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई हो तो सर्वप्रथम विभागीय प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का मत प्राप्त कर लिया जावे. विभागीय प्रस्ताव पर आयोग की सहमति की स्थिति में अंतिम दण्डादेश प्रशासकीय विभाग द्वारा पारित

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

किये जा सकते हैं. यदि विभागीय प्रस्ताव पर आयोग सहमत नहीं होता तो प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण समन्वय में मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें आयोग से असहमति के आधार स्पष्ट दर्शाये जाने चाहिये. संबंधित शासकीय सेवक को दण्डादेश के साथ आयोग के मत की प्रति दी जाना चाहिये तथा आयोग से असहमति की स्थिति में उसके आधार भी दण्डादेश में दर्शाये जाना चाहिये.

4. प्रथम श्रेणी अधिकारियों मामले में मध्यप्रदेश शासन के कामकाजी नियमों के भाग 4 नियम 10 के अधीन जारी किये गये निर्देश (छ) के अनुसार अंतिम दण्डादेश पारित करने के पूर्व समन्वय में मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जावे.

5. यदि संबंधित शासकीय सेवक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में "अपील" की है और अपीलीय न्यायालय ने दोष सिद्धि को "स्थगन" न देकर मात्र "सजा" को स्थगित किया है तो भी उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है.

6. संबंधित शासकीय सेवक को "दण्डादेश" पारित करने के साथ ही, राज्य प्रशासनिक अधिकरण में "केवियेट" भी दाखिल कर दिया जावे ताकि आरोपी शासकीय सेवक अधिकरण से "एकपक्षीय" स्थगन प्राप्त करने में सफल न हो. "अधिकरण" द्वारा "स्थगन" दिये जाने पर उच्च न्यायालय में "याचिका" दायर की जावे.

उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा अंतिम दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट क (1) तथा क (II) पर संलग्न है.

(ख) ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दंडित किया गया हो.

ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो एवं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो उनकी पेंशन म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उप नियम (एक) के अन्तर्गत स्थाई रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है. ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित शासकीय सेवक को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है. पेंशन रोकने संबंधी अंतिम आदेश मंत्रि-परिषद् द्वारा पारित किये जावेंगे. ऐसे शासकीय सेवकों, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है, के विषय में सर्वप्रथम आयोग का मत प्राप्त किया जावेगा. तत्पश्चात् आयोग के मत सहित प्रकरण मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप तथा पेंशन रोकने संबंधी दण्डादेश का प्रारूप क्रमशः संलग्न परिशिष्ट ख-1, ख-2 पर है.

(ग) ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा आपराधिक प्रकरण लंबित हैं और जो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा हो रहे हैं.

(i) ऐसे शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो गये हैं और उनकी पेंशन भी अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित है या बाद में संस्थापित होती है तो म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 (4) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात मंत्रिपरिषद आदेश द्वारा विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि से ऐसे शासकीय सेवक को स्वीकृत पेंशन में अस्थाई रूप से 50 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है.

(ii) उक्त नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के "ए" के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से एक वर्ष में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात रोकी गई पेंशन का 50 प्रतिशत पुनस्थापित हो जायेगा.

(iii) इसी प्रकार नियम 9 (4) के द्वितीय परन्तुक के "बी" के अनुसार यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो उपर्युक्त दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् रोकी गई पेंशन की पूर्ण राशि पुर्नस्थापित हो जायेगी. इसी द्वितीय परन्तुक के "सी" के अनुसार विभागीय जांच का अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारम्भ होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

(iv) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शासकीय सेवक के मामले में सर्वप्रथम "आयोग" का मत प्राप्त किया जायेगा तत्पश्चात् प्रकरण मंत्रिपरिषद् को प्रस्तुत किया जावेगा.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

(v) उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली टीप, संबंधित शासकीय सेवक को दिये जाने वाले कारण बताओं नोटिस और अंतिम आदेश का प्रारूप क्रमश: संलग्न परिशिष्ट ग-1, ग-2, और ग-3 पर है.

3. कृपया आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाये गये शासकीय सेवकों के विरुद्ध उक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे. साथ ही इन निर्देशों का कठोरता के साथ पालन किया जावे.

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 6-2/98/3/1 भोपाल, दिनांक 8-2-99

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, संगठन, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
   महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रायपुर.
7. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर.
8. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
9. अवर सचिव स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
10. श्री वीरेन्द्र खोंगल, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.
12. सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

परिशिष्ट "क-1"

विषय :—शासकीय सेवक को किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने पर विभाग द्वारा शासकीय सेवक को दीर्घ शास्ति प्रदान करने के लिए लिखी जाने वाली टीप का प्रारूप.

श्री .... आत्मज श्री .... इस विभाग में .... पद पर पदस्थ हैं (जो वर्तमान में निलंबित हैं एवं उनका मुख्यालय .... हैं).

श्री .... को .... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... में निर्णय दिनांक .... से आरोप प्रमाणित किए जाने पर धारा (अधिनियम) .... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर .... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास एवं .... रु. अर्थदंड से दंडित किया गया है जिसके निर्णय की प्रति, जो न्यायालय .... से प्राप्त हुई है जो पताका "क" पर उपलब्ध है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि श्री .... का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध माना है, उन्हें शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. श्री .... को न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश गंभीर आरोप .... के संबंध में हैं, जो तुच्छ प्रकृति का नहीं है, जिसके लिए आरोपी पर लघुशास्ति अधिरोपित की जा सके.

आरोप का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 (1) (1) (3) के अंतर्गत कदाचरण का कृत्य है. न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में .... के उपरोक्त कदाचरण के कृत्य के लिए अपचारी कर्मचारी श्री .... पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 में प्रावधानित दीर्घशास्ति अधिरोपित किया जाना उचित है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-19 सहपठित नियम-14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 (2) (अ) के अंतर्गत अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है.

आपराधिक प्रकरण के निर्णय जिसमें अपचारी कर्मचारी को .... वर्ष के सश्रम/सामान्य कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, जो गंभीर कदाचरण का कृत्य है, को देखते हुए अपचारी कर्मचारी श्री .... को उनकी सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किया जाता है. आदेश की तामीली अपचारी कर्मचारी पर की जाए.

नियुक्तिकर्ता अधिकारी/विभाग प्रमुख.

टीप:—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" तथा "आदेश" में आयोग के मत का उल्लेख भी किया जावे.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

परिशिष्ट "क-2"

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

(जिस विभाग से संबंध हो)

प्रति,

श्री .... आत्मज ....

निवासी ....

पता ....

विषय :— **........................ न्यायालय द्वारा आप. प्रकरण क्रमांक .... में प्रदत्त निर्णय दिनांक .... जिसमें अपचारी कर्मचारी श्री .... को धारा .... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर .... वर्ष के सश्रम कारावास एवं .... रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, के प्रकाश में अपचारी कर्मचारी को पदच्युत (डिसमिस) के दीर्घशास्ति से दडित करने के संबंध में.**

आदेश

(1) यह कि आप .... विभाग में .... अधिकारी/कर्मचारी के पद पर पदस्थ हैं. आपको .... न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... निर्णय दिनांक .... अधिनियम की धारा .... के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोषसिद्ध कर .... अवधि के सश्रम/सामान्य कारावास से एवं रु. .... के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि आपका कृत्य जिसके लिए आपको दोषसिद्ध माना है, आपका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है. ऐसी स्थिति में आपका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

(2) यह कि उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में आपके विरुद्ध प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के प्रकाश में आपके कदाचरण के कृत्य को देखते हुए राज्य शासन/विभाग .... द्वारा विचारोपरान्त आपके विरुद्ध दीर्घशास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है.

(3) यह कि गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में आप पर पदच्युत (डिसमिस) का दीर्घशास्ति आदेश दिनांक .... से अधिरोपित की जाती है.

संलग्न :—आप. अपील क्र. .... के निर्णय दिनांक .... की प्रति.

भोपाल :

दिनांक ....

विभाग प्रमुख/नियुक्तिकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

परिशिष्ट "ख-1"

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गई एवं जिसे आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि पर दण्डित किया गया है को पेंशन रोकने के संबंध में.

श्री .... आत्मज .... पद का नाम .... दिनांक .... से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनके विरुद्ध .... में धारा .... के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण लंबित था जिसमें दिनांक .... को उन्हें .... अवधि के सश्रम/साधारण कारावास से दण्डित किया गया है.

श्री .... पर आरोपित कृत्य जिसके लिये उन्हें दण्डित किया गया है, गंभीर आपराधिक कदाचरण का कृत्य है. यदि श्री .... सेवा में रहते तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ए) के अंतर्गत उनकी सेवाएँ बिना किसी विभागीय जांच के समाप्त की जा सकती थी. चूंकि श्री .... सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें शासन से पेंशन प्रदान की जा रही है. जबकि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत ऐसी पेंशन को स्थायी रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है तथा इसी नियम के अंतर्गत ऐसे गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए शासकीय सेवक श्री .... को प्रदान की जाने वाली पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाना आवश्यक है. अतः नस्ती आदेश हेतु शासन को भेजी जावे.

हस्ताक्षर

शासन से नस्ती आदेश सहित प्राप्त. आदेश के पालन में शासकीय सेवक श्री .... को पेंशन स्थायी रूप से रोकने हेतु आदेश जारी किये जावें.

हस्ताक्षर

टीप:—

(1) मंत्रिपरिषद् द्वारा ही पेन्शन रोकने के आदेश हो सकेंगे.

(2) लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" तथा "आदेश" में "आयोग" के मत का उल्लेख होगा.

परिशिष्ट "ख-2"

आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पश्चात् सेवा-निवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन रोकने के संबंध में आदेश का प्रारूप

मध्यप्रदेश शासन .... विभाग

प्रति,

श्री .... आत्मज ....

विभाग ....

पता ....

विषय :— आपराधिक प्रकरण क्र. .... निर्णय दिनांक .... में धारा .... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने के प्रकाश में पेंशन रोकने हेतु.

आदेश

(1) यह कि आप .... विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत थे और दिनांक .... को सेवा-निवृत्त हुए हैं और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको सेवा-निवृत्त पश्चात् विभाग के आदेश क्रमांक .... से रुपए .... मासिक पेंशन प्रदान किया जा रहा है.

(2) यह कि आपके सेवा नियोजन की अवधि में आपके विरुद्ध .... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... धारा .... के अंतर्गत स्थान .... में लंबित थे, जिसमें दिनांक .... को न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान कर आपको धारा .... के अंतर्गत दोषसिद्ध कर .... अवधि के सश्रम/साधारण कारावास एवं .... रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. यह कि जिसे कृत्य के संबंध में आपको दंडित किया गया है वह कृत्य गंभीर कदाचरण का है जिसके प्रकाश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से आपकी पेंशन रोकी जाना आवश्यक है.

(3) यह कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 (1) के अंतर्गत शासन आपको देय पेंशन स्थायी रूप से रोकने के लिए सक्षम है.

अत: नियम-9 (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन द्वारा आपको देय पेंशन को स्थायी रूप से रोका जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

परिशिष्ट "ग-1"

विषय :— श्री .... के विरुद्ध न्यायालय में .... आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... अथवा विभागीय जांच लंबित होने पर पेंशन रोकने के संबंध में.

शासकीय कर्मचारी/अधिकारी श्री .... जो .... पद पर स्थान पर .... पदस्थ थे, के विरुद्ध .... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... अंतर्गत धारा .... अधिनियम .... लंबित है (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का कृत्य है.

श्री .... दिनांक .... को सेवा-निवृत्त हो चुके हैं तथा <u>उन्हें पेंशन भी स्वीकृत हो गई है,</u> उनके गंभीर कदाचरण के कृत्य को देखते हुए उनकी पेंशन में 50% की कटौती करना आवश्यक है. अत: पेंशन नियमों के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन, राज्य शासन को प्रेषित की जाती है.

पेंशन को रोकने के लिए मुख्य बिन्दु

(1) किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अथवा सिविल अथवा आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया (आपराधिक प्रकरण भी) लंबित होने, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गंभीर कदाचरण का आरोप होने पर आरोपी की पेंशन अस्थायी रूप से विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक रोकने की कार्यवाही नियम-9, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के अंतर्गत की जानी चाहिए.

(2) नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर होने की स्थिति में लोक सेवा आयोग से सहमति ली जानी चाहिए.

(3) सेवा-निवृत्ति के पूर्व विभागीय जांच प्रारंभ होना आवश्यक है और ऐसी जांच लंबित रहने पर नियम-9 (2) (ए) के अंतर्गत यह जांच बिना किसी अग्रिम अनुमति के जारी रखी जा सकती है.

(4) विभागीय जांच में पेंशन रोकने के लिए प्रावधान नियम-9 (2) (ए) में है. परंतुक के अंतर्गत प्रतिवेदन शासन/मंत्रिपरिषद् को भेजना आवश्यक है. जिनके द्वारा पेंशन रोकने के आदेश दिए जाएंगे.

(5) यदि विभागीय जांच सेवा-निवृत्ति तक प्रारंभ नहीं होती है तो बिना महामहिम राज्यपाल अर्थात् मंत्रिपरिषद् की अनुमति के नियम-9(2) (बी) (1) के अंतर्गत प्रारंभ नहीं की जा सकती एवं उप नियम-(2) (बी) (2) के अंतर्गत घटना के 4 साल पश्चात् ऐसी जांच प्रारंभ भी नहीं की जा सकती.

(6) जांच लंबित होने पर अथवा अनुमति मिलने पर जांच नियमानुसार जारी रहेगी और जिसमें सेवा में रहने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती हो ऐसे प्रकरणों कर्मचारी की पेंशन अथवा उसके भाग को स्थायी अथवा निश्चित अवधि के लिए रोका जा सकेगा इसी तरह यदि शासकीय धन की वसूली किसी कर्मचारी/अधिकारी से की जाना है तो ऐसी धन की वसूली उसकी पेंशन से की जा सकेगी जिसकी सीमा 1/3 पेंशन की राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) नियम-4 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी के लिए अस्थायी (प्रोविजनल) पेंशन और मृत्यु सह उपादान स्वीकृत की जा सकती है.

(8) <u>यदि ऐसे कर्मचारी के पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तो उप नियम (4) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल अर्थात मंत्रिपरिषद् द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ करने की तिथि से स्वीकृत पेंशन की 50% तक की राशि रोकने के आदेश दिए जा सकेंगे.</u>

(9) इसी नियम के द्वितीय परंतुक "ए" के अनुसार यदि विभागीय जांच प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है तो रोकी गई पेंशन का 50% पुन: स्थापित हो जाता है.

विषय :— श्री .... के विरुद्ध न्यायालय में ....
आपराधिक प्रकरण क्र. .... लंबित होने के प्रकाश में विभागीय जांच एवं पेंशन रोकने के संबंध में.

और "बी" के अनुसार दो वर्ष में 100% पेंशन पुनः स्थापित हो जाती है. "सी" के अनुसार विभागीय जांच में अंतिम आदेश पेंशन रोकने का पारित होने पर आदेश विभागीय जांच प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावशील माना जाए.

टीप:—लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के विषय में "विभागीय टीप" एवं "आदेश" में "आयोग" के मत का भी उल्लेख होगा.

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

परिशिष्ट "ग-2"

विषय :— अस्थायी रूप से पेंशन रोकने हेतु कारण बताओ सूचना [मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत]

प्रति,

....

....

....

(1) यह कि आप .... विभाग में .... के पद पर स्थान पर पदस्थ थे. आपके विरुद्ध .... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... .धारा .... अधिनियम .... के अंतर्गत (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(2) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक .... से शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको पेंशन रु. .... स्वीकृत हो चुकी है.

(3) यह कि आपके विरुद्ध लंबित गंभीर कदाचरण के आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच प्रकरण को देखते हुए आपको स्वीकृत पेंशन राशि में से 50% की कटौती मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 (4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थाई रूप से करना उचित एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है.

अत: सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप लिखित कारण बताएं कि आपको स्वीकृत पेंशन की राशि में से अस्थायी रूप से 50% की कटौती क्यों न की जाए.

भोपाल : मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनांक ....

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

परिशिष्ट "ग-3"

विषय :— अस्थायी रूप से, विभागीय अथवा आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक पेंशन की राशि में कटौती करना.

प्रति,

....

....

....

(1) यह कि आप मध्यप्रदेश शासन के अधीन .... के पद पर .... स्थान पर शासकीय सेवा में पदस्थ थे.

(2) यह कि आपके विरुद्ध .... न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... के अंतर्गत धारा ....अधिनियम .... के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है. (अथवा विभागीय जांच लंबित है) जिसमें उल्लिखित कृत्य गंभीर कदाचरण का है.

(3) यह कि इसके पूर्व आप दिनांक .... से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करके अथवा अन्यथा दिनांक .... से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा आपको रु. .... माहवार पेंशन की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है.

(4) यह कि आपके विरुद्ध उक्त गंभीर कदाचरण के संबंध में लंबित आपराधिक प्रकरण (अथवा विभागीय जांच) के निराकरण होने तक, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9(4) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त देय पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती करना विचारणीय है. इस संबंध में सूचना पत्र दिनांक .... भी दिया गया. उक्त सूचना पत्र के संबंध में आपके द्वारा दिए गए लिखित उत्तर (यदि कोई हो तो) तथा अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपको देय उक्त पेंशन की राशि में से 50% राशि की कटौती आगामी आदेश होने तक की जाए, तदनुसार आपको देय पेंशन की राशि में से 50% की कटौती एतद्द्वारा की जाती है.

भोपाल : मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनांक ....

Jaithari Road Anuppur, District- Anuppur, Madhya Pradesh, Pin Code:- 484224 www.gtcanuppur.ac.in

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ/सी-6-2/94/3/एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 1994.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थाईकरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त -

(1) 209/2449/1/3/63 दिनांक 31-1-64
(2) 3-29/73/3-एक दिनांक 20-3-74
(3) 3-17/79/3/एक दिनांक 11-1-80
(4) 6-1/80/1/3 दिनांक 12-7-80
(5) 620-1213-1-3-82 दिनांक 23-9-82

उन शासकीय सेवकों के मामले, जिन पर मुहर बंद लिफाफे की क्रियाविधि लागू होती है ।

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित मार्जिन में अंकित निर्देशों तथा इस संबंध के समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 27-8-91 (भारत संघ बनाम जानकीरमण इत्यादि ए0आई0आर0 1991 एस0सी0 2010) तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 22011/4/91-स्था0(क), दिनांक 14-9-92 के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों के पदोन्नति के मामलों में, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो अथवा जिसके आचरण की जाँच की जा रही हो, के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार होंगे :-

2(1)- शासकीय सेवकों के पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करते समय पदोन्नति की विचारण परिधि में आने वाले ऐसे शासकीय सेवकों के ब्यौरे, जो निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हों, विशेष तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाए जाने चाहिए :-

(i) निलंबित शासकीय सेवक,
(ii) शासकीय सेवक, जिन्हें आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है और जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, और

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(iii) शासकीय सेवक, जिन पर, किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिनमें चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित है ।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जायेगी, जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो ।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा, पैरा-2(1) में वर्णित प्रकरणों के संबंध में अपनाई जाने वाली क्रिया-विधि ।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति, उन शासकीय सेवकों के, जो कि ऊपर वर्णित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन पर विचार न करते हुए, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी । विभागीय पदोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन, जिसमें पदोन्नति के लिए अयोग्य भी शामिल हो सकता है, इसके द्वारा दिए गए ग्रेड को, मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा । इस लिफाफे पर "श्री .... (शासकीय सेवक का नाम) के संबंध में - - -- - - - - - - ग्रेड में/पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष । इसे श्री - - - - - - (शासकीय सेवक का नाम) के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन की सम्पूर्ति पर ही खोला जायेगा"/ अंकित किया जायेगा । विभागीय पदोन्नति के कार्यवृत में केवल इस आशय के नोट की ही आवश्यकता है कि "निष्कर्ष संलग्न सीलबंद लिफाफे में दिए गए हैं"। जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष किसी मुहरबंद लिफाफे में रखे गए हों तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग से यह सलाह दी जानी चाहिए कि उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाए ।

अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि ।

(3) उपरोक्त पैरा- 2(2) में उल्लिखित वही क्रियाविधि आयोजित की जाने वाली अनुवर्ती विभागीय समितियों द्वारा तब तक अपनाई जायेगी जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन का मामला समाप्त नहीं हो जाता ।

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले की समाप्ति उपरांत कार्यवाही ।

3(1)- ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन के मामले में, जिसमें शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपों को वापस ले लिया जाता है, की समाप्ति पर मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा । ऐसे मामले में जब किसी शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख, मुहरबंद लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी । ऐसे शासकीय सेवक को, यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सब से बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर, पदोन्नत किया जा सकता है । उसे, उसके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में कल्पित रूप में (नोशनल) पदोन्नत किया जा सकता है । तथापि इस प्रश्न का, कि क्या संबंधित शासकीय सेवक वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किन्हीं बकायों का पात्र होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, इस मामले में निर्णय नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक क्रियाविधि/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा । जहां-कहीं भी प्राधिकारी द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा । ऐसे सभी हालातों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अन्तर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाना जरूरी हो । ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, शासकीय सेवक की वजह से देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिसके लिए शासकीय सेवक के कृत्य के कारण साक्ष्य अनुपलब्ध हो गई हो । यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

(2) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप शासकीय सेवक पर कोई शास्ति लगाई जाती है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफा खोलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् लिफाफे/लिफाफों में रखे निष्कर्षों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी । अतः

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

ऐसी स्थिति में उसकी पदोन्नति के मामले पर, सामान्यतः उस पर आरोपित शास्ति को ध्यान में रखते हुए, अगली विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जायेगा ।

(3) सामान्यतः किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दंडित तब ही करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए जांच के निष्कर्षों में उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त (Good & Sufficient) आधार हों । जांच के फलस्वरूप ऐसे उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार न हों तो शासकीय सेवक को दोषमुक्त करना चाहिए । शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कई प्रकरणों को, जिनमें अपचारी अधिकारी के विरुद्ध की गई जांच में उसको दंडित करने के उपयुक्त / अच्छे एवं पर्याप्त आधार थे, केवल चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया और इस आधार पर अपचारी अधिकारी को पदोन्नत भी कर दिया गया इस प्रकार की कार्यवाही करना अनुचित है । मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत चेतावनी दण्ड की परिभाषा में नहीं आती । अर्थात् इन नियमों के अन्तर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है । नियमों के अन्तर्गत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों को केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिए ।

"मुहरबंद लिफाफों" के मामलों की छः माही समीक्षा

4- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन केस मामले में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाए और इस संबंध में कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शासकीय सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखा जाए । अतः संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने उस शासकीय सेवक की उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए । ऐसी समीक्षा बाद में भी हर 6 महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए । इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ साथ अनुशासनिक कार्यवाही

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

आपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

तदर्थ पदोन्नति के लिए क्रियाविधि।

5(1)- उपरोक्त पैरा-4 में उल्लिखित छःमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने शासकीय सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हो। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे शासकीय सेवक के मामले की समीक्षा करें, बशर्ते कि वह शासकीय सेवक निलम्बनाधीन न हो तथा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ पदोन्नति दिए जाने की संभावना पर विचार किया जाए कि, -

(क) क्या शासकीय सेवक की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी ?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे पदोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है ?

(ग) क्या निकट भविष्य में प्रकरण के पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी न्यायालयीन कार्यवाही को अन्तिम रूप दिए जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित शासकीय सेवक का कोई योगदान है ?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय/आपराधिक अभियोजन के मामलों से संबंधित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को उक्त संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए और उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर तदर्थ पदोन्नति हेतु मूल्यांकन।

"(2)- यदि नियोक्ता प्राधिकारी इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि शासकीय सेवक को तदर्थ पदोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस स्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिए जाने के लिए कि क्या संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, सामान्य रूप से आयोजित की जाने वाली अगली विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए । जहां शासकीय सेवक के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो उस स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति को चाहिए कि वह उस शासकीय सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले पर ध्यान न देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करें ।

तदर्थ पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना ।

(3)- किसी शासकीय सेवक को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने के [illegible] में कोई निर्णय लिए जाने के बाद उसकी पदोन्नति का आदेश जारी किया जा[illegible] और जारी आदेश में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि :-

(i) पदोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा,

(ii) की जा रही पदोन्नति का विभागीय जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा

(iii) पदोन्नति "आगामी आदेशों तक" ही होगी । आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शासन/सक्षम प्राधिकारी उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे पदोन्नत किया गया था ।

तदर्थ पदोन्नति का [illegible]यमित किया जाना [illegible]था पैरा 3(1) की सुविधाएं दी जाना ।

(4)- यदि संबंधित शासकीय सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोष रहित करार दिया जाता है, तो तदर्थ पदोन्नति को नियमित पदोन्नति में परिवर्तित कर दिया जाए और इस पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित सुविधाओं सहित

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाए । यदि ऐसे शासकीय सेवक का, मुहरबंद लिफाफे में रखी गई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किए गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति की वास्तविक तारीख से, जिसे उक्त शासकीय सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, सामान्यतः नियमित पदोन्नति मिल गई हो, तो उस स्थिति में उसे उपरोक्त पैरा 3(1) में निरूपित विधिवत् वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधाएं दे दी जायेंगी ।

तदर्थ पदोन्नति निरस्त किया जाना ।

(5)- यदि शासकीय सेवक को आपराधिक अभियोजन से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं कियाजाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और साथ ही शासन या तो इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में ले जाना चाहता है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा ऐसे शासकीय सेवक को यदि विभागीय कार्यवाही में दोष रहित करार नहीं दिया जाता तो उसे दी गई तदर्थ पदोन्नति को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

स्थाईकरण के लिए "मुहरबंद लिफाफे" की क्रियाविधि ।

6- किसी निलम्बनाधीन शासकीय सेवक अथवा जिसके विरुद्ध अभियोजन में विभागीय जांच चल रही हो, के स्थाईकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित क्रियाविधि का ही अनुसरण किया जाना चाहिए । जब ऐसे किसी शासकीय सेवक के मामले को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिए एक स्थाई रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में मुहरबंद लिफाफे की क्रिया-विधि, जिसके विरुद्ध कोई मामला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उनकी पदोन्नति होने से पहले, सामने आता है ।

7- कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में पैरा 2(1) में उल्लिखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जावेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जाएगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गई मानी जायेगी । ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न

कर दिया जाए। यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है तो विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जायेगा।

8- उपरोक्त विषय से संबंधित अनुशासनिक/न्यायालयीन मामले में अथवा अन्य किन्हीं शासकीय निर्देशों में जहां-कहीं पैरा-ऐ के मार्जिन में अंकित निर्देशों का उल्लेख हुआ हो तो उन्हें एतद् द्वारा निरस्त माना जाकर, उनके स्थान पर इन निर्देशों को पढ़ा जाए और इस ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों को सावधानीपूर्वक दृढ़ता से पालन कराया जाए।

(पी०के० मेहरोत्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में किये गये संशोधन

Amendments made in The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control And Appeal), Rules, 1966.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

["मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग 4 (ग), दिनांक 28 अक्टूबर 1988 में प्रकाशित]

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक १ अक्टूबर १९८८

क्र. सी-५-६-८७-३-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, १९६६ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(१) नियम २३ में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्.—

"(तीन) नियम ९ के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलंबन का आदेश.";

(२) विद्यमान नियम २७ को उसके उपनियम (२) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (२) के पूर्व, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(१) निलंबन आदेश के विरुद्ध की गई अपील की दशा में अपीलीय प्राधिकारी नियम, ९ के उपबन्धों को एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, यह विचार करेगा कि क्या निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तद्नुसार ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहृत करेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ अक्टूबर १९८८

क्र. सी-५-६-८७-३-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-५-६-८७-३-उनन्चास, दिनांक १ अक्टूबर १९८८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 1988

F. No. C/5-6-87-3-XLIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the folllowing further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in rule 23, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 9".

(2) the existing rule 27 shall be numbered as sub-rule (2) thereof and before sub-rule (2) as so renumbered the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appeallate Authority shall consider whether in the light of provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm revoke the order, accordingly."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. N. SHRIVASTAVA, Dy. Secy

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

भोपाल, दिनांक 22 जून 1992

क्र. सी-6-30-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 में, उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1—क) उप नियम (1) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में शासकीय सेवक द्वारा, उक्त उप नियम के खण्ड (क) के अधीन किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना प्रस्तावित किया जाए और ऐसी वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोके जाने से शासकीय सेवक को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो या किसी कालावधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां या गतिरोध भत्ता रोका जाना हो तो शासकीय सेवक पर, किसी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व नियम-14 के उप नियम (3) से (23) तक में दी गई रीति में ऐसी जांच की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश मेहरा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 1992

क्र. सी-6-30-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-30-92-3-एक, दिनांक 22 जून 1992 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश मेहरा, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 22nd June 1992

No. C-6-30-92-3-I.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16 after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1—A) Notwith standing anything Contained in clause (b) of sub rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Government Servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay of Stagnation Allowance and such withholding or increments of pay or Stagnation Allowance is likely to effect adversely the amount of pension payable to the Government Servant or to withhold increments of pay or Stagnation allowance for a period execeeding three years or to withhold increments of pay or Stagnation allowance with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 14, before making any order imposing on the Government Servant any such penalty."

By order and in the name of the Governor of
Madnya Pradesh,
OM PRAKASH MEHRA, Principal Secy.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 1996—श्रावण 12, शके 1918

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनाक 3 अगस्त 1996

क्र. सी-6-2-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद. 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 मे निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों मे, नियम-9 में,

(एक) उप नियम (1) के विद्यमान परंतुक में शब्द 'परन्तु' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह और भी कि' स्थापित किये जाये; और

(दो) उप नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित 'परंतुक अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

'परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.'

(तीन) उप नियम, (5) के खण्ड (च) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायें, अर्थात्:—

'परंतु नियम, 9 के उप नियम (1) के प्रथम परंतुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.'

2. यह संशोधन दिनांक 17 अप्रैल, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1996

क्र. सी-6-2-96-3-एक.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-2-96-3-एक, दिनांक 3 अगस्त 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव

Bhopal, the 3rd August 1996

No. C-6-2-96-3(I).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 9,—

(i) in the exsting proviso to sub-rule (1) for the words "Provided that" the words "Provided further that "shall be substituted, and

(ii) before the existing proviso to sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed against him."

(iii) to clause (d) of sub-rule (5) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that an order of suspension made under the first proviso to sub-rule (1) of rule 9 shall not be revoked except by an order of the Government made for reasons to be recorded."

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 17th April, 1996.

order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2
डब्ल्यू-पी/505/98

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मई 1998—वैशाख 31, शक 1920

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 1998

क्र. सी-6-3-98-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 9 के उपनियम (2-क) के विद्यमान् परन्तुक में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर " राज्य सरकार या उच्च न्यायालय" स्थापित किए जाएं.

(2) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु उच्च न्यायालय को, नियम 10 के खण्ड (छह) (जहां तक कि वह रेंक अर्थात् पद या सेवा में कटौती से संबंधित है) तथा खण्ड (सात) से (नौ) में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों को छोड़कर समस्त शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी."

(3) नियम 18 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अधिकारियों के मामले में, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा."

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

(4) नियम 22 के खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"(चार) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कोई आदेश"

(5) नियम 29 में, विद्यमान् स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण-एक के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित किये गये स्पष्टीकरण-एक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण-अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण-दो

इस नियम के अधीन राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा."

(6) अनुसूची में शीर्ष "विधि विभाग" के अधीन वर्ग-एक तथा वर्ग-दो से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

नियम 5, 10, 24 तथा 29 देखिये

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	वह प्राधिकारी जो उन शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये सक्षम होगा जिन्हें कि वह नियम 10 में दिये गये मद क्रमांक के संदर्भ में अधिरोपित कर सकेगा		
		प्राधिकारी	शास्ति	अपीलीय प्राधिकारी
वर्ग-एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य)	राज्यपाल (राज्य सरकार)	1. मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किये गये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	(एक) से (पांच) तथा (छह) से वेतन या श्रेणी के निम्न समय वेतनमान की अवनति की सीमा तक.	उच्च न्यायालय.
		2. राज्य सरकार (उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल)	(छह) से पद या सेवा में अवनति की सीमा तक अर्थात् रैंक में अवनति और (सात) से (नौ) तक.	उच्च न्यायालय के परामर्श से या उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल.
वर्ग-दो व्यवहार न्यायाधीश (निम्नस्तर न्यायिक सेवा के सदस्य)	राज्यपाल (राज्य सरकार)	(एक) मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त की गयी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	(एक) से (पांच) तक और (छह) वेतनमान श्रेणी के निम्न समय वेतनमान की अवनति की सीमा तक.	उच्च न्यायालय.
		(दो) राज्य सरकार (राज्यपाल) उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार.	(छह) से पद या सेवा में अवनति की सीमा तक, अर्थात् रैंक में अवनति, और (सात) से (नौ) तक.	उच्च न्यायालय के परामर्श से या उच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

भाग -दो

पद का वर्णन	निलम्बन आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
समस्त न्यायिक अधिकारी (उच्च न्यायिक सेवा और निम्नस्तर न्यायिक सेवा के सदस्य)	मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त की गयी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रशासकीय समितियां.	उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 1998

क्र. सी-6-3-98-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-3-98-3-एक, दिनांक 20 मई 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th May 1998

No.C-6-3-98-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) in the existing proviso to sub-rule (2-a) of rule 9, for the words "State Government", the words "State Government of the High Court" shall be substituted.

(2) in clause (a) of sub-rule (3) of rule 12, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the High Court shall have the power to impose all the penalties except penalties as specified in clause (vi) (so far as it relates to reduction in rank *i. e.* post of service), and clauses (vii) to (ix) of rule 10."

(3) in sub-rule (1) of rule 18, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the powers conferred on the Governor under this rule shall in case of Judicial Officers, be exercised by the Chief Justice."

(4) after clause (iii) of rule 22, the following clause shall be added, namely:—

" (iv) any order passed by the High Court as an Appellate Authority."

(5) in rule 29, the existing explanation shall be numbered as explanation 1 and after explanation 1, so numbered the following explanation shall be inserted, namely:—

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act
E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

EXPLANATION -II

"The powers conferred on the Governor under this rule shall, in the case of Judicial Officers be exercised by the High Court."

(6) in the Schedule under the heading "Law Department" for the entries relating to Class-I and Class-II, the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE
(See Rule 5, 10, 24 and 29)

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties which it may impose with reference to item Numbers in Rule 10		
Class-I District & Sessions Judges (Members of High Judicial Service)	Governor (State Govt.)	1. Administrative Committees of High Court Judges, appointed by the Chief Justice.	(I) to (V) and (vi) to the extent of reduction to lower time scale of pay or grade.	High Court
		2. State Government (Government as per recommendations of the High Court.	(vi) to the extent of reduction to post or service *i. e.* reduction in rank and (vii) to (ix)	Governor in consultation with the High Court (or in accordance with the recommendations of the High Court).
Class-II Civil Judges (Members of Lower Judicial Service)	Governor (State Govt.)	1. Administrative Committees of High Court Judges, appointed by the Chief Justice.	(I) to (V) and (vi) to the extent of reduction to lower time scale of pay or grade.	High Court
			(vi) to the extent of reduction to post or service *i. e.* reduction in rank, and (vii) to (ix)	Governor in consultation with the High Court (or in accordance with the recommendations of the High Court).

PART - II

Description of post	Authority to pass order of suspension	Appellate Authority
All the Judicial Officers (Members of HJS and LJS).	Administrative Committees of High Court, Judge, appointed by the Chief Justice.	High Court

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

...व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना ... द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. ...अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. ... भू./04 भोपाल-2002.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

[...मांक 255] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2002—ज्येष्ठ 27, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी. 6-5-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, शब्द ''पांच रुपये'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''पचास रुपये'' स्थापित किए जाएं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम . के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी. 6-5-2002-3- एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 6-5-2002-3-एक, दिनांक 17 जून, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम . के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

Bhopal, the 17th June 2002

No. C. 6-5-2002--3-EK.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for the words "Rupees five" wherever they occur, the words "Rupees fifty" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2005—फाल्गुन 26, शक 1926

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए, शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in ☎ 9893076404

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-1-2004-3-एक, दिनांक 17 मार्च 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th March 2005

No. C-6-1-2004-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 14, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule (3) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUBHASH DAFNEY, Dy. Secy.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

ाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक
ारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
ानुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
र्व भुगतान भोपाल-06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

ामांक 67] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2007—फाल्गुन 7, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ाध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते ', अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: heqtdcano@mp.gov.in 9893076404

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी..6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2007

No.-C-6-1-2007-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for first proviso to sub-rule (1) of Rule 9, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after senction of procecution by the Government against him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AKHILESH ARGAL, Addl. Secy